राज्य बजट 2019-20
एक विश्लेषण

बजट अध्ययन राजस्थान केन्द्र
(आस्था की इकाई)
ईमेल: info@barcjaipur.org
वेबसाइट: www.barcjaipur.org

बजट एनालिसिस एण्ड रिर्सच सेन्टर ट्रस्ट
ईमेल: barctrust@gmail.com
वेबसाइट: www.barctrust.org

अनुक्रम

विषय/क्षेत्र	पृष्ठ सं.
राज्य बजट 2019–20 : एक विश्लेषण	1
राज्य में कृषि एवं सिंचाई हेतु आवंटन एवं खर्च	3
राज्य बजट में ग्रामीण विकास की स्थिति	8
राज्य में जलापूर्ति एवं सफाई की स्थिति	13
राजस्थान में शिक्षा की स्थिति एवं बजट	17
राजस्थान सरकार का स्वास्थ्य हेतु बजट	23
राज्य में महिलाओं हेतु बजट आवंटन का विवरण	28
राज्य में बच्चों की स्थिति एवं बजट	30
राज्य में अनुसूचित जाति एवं जनजाति उपयोजना	32
राज्य में पेंशन योजनाओं हेतु बजट में मामूली बढ़ोतरी	39
राज्य में अल्पसंख्यकों की स्थिति एवं बजट	41

राज्य बजट 2019–20 : एक विश्लेषण

मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अपने इस कार्यकाल का दूसरा बजट पेश किया। जिन लोगों ने इस बजट में कोई बड़ी घोषणा की उम्मीद लगा रखी थी उन्हें निराशा ही हुई होगी। क्योंकि सरकार बनने के बाद से मुख्यमंत्री कईं बड़ी घोषणाएं पहले ही कर चुके हैं। किसानों की कर्ज़ माफी, नौजवानों को बेरोजगारी भत्ता आदि घोषणाएं पहले ही हो चुकी है, और उनके लिये बजट प्रावधान भी किये जा चुके हैं। फिर कुछ घोषणाएं महत्त्वपूर्ण हैं।

किसानों के लिये 1000 करोड़ रू का कृषक कल्याण निधि, खाद्य प्रसंस्करण एवं निर्यात प्रोत्साहन नीति बनाने की घोषणा, किसानों के लिये 16 हज़ार करोड़ के अल्पकालिक ऋण का लक्ष्य, गोपालन विभाग के बजट में 145 प्रतिशत की वृद्धि, पंचायत समिति स्तर पर नंदी शालाएं जिन से आवारा पशुओं की समस्या पर रोक लगेगी। किसानों के लिये बड़ी घोषणाएं हैं। अपने पिछले कार्यकाल में गहलोत सरकार ने राजस्थान कृषि नीति का मसौदा तैयार करवाया था। अच्छा होगा अगर अब बदली हुई परिस्थिती के अनुरूप एक राजस्थान कृषि नीति लाई जाए।

इस बजट में सड़क, उर्जा एवं पानी को निःसंदेह प्राथमिकता मिली है। उर्जा विभाग को 30,170 करोड़ रू आवंटित किये गये हैं जो पिछले वर्ष से 11.41 प्रतिशत अधिक है। मुख्यमंत्री ने यह भी बताया कि सरकार ने बिजली उत्पादन पर 10 वर्षीय कार्य योजना बनाई है। देखना होगा कि इस कार्य योजना में क्या है। इसके साथ ही राज्य में नई सौर एवं पवन उर्जा नीति लाये जाने की घोषणा भी हुई है। किसानों को सौर पंपसेट और ट्यूबवैल उपलब्ध कराने की सकारात्मक घोषणा भी की गई है। हालांकि कृषि का कुल बजट मात्र 500 करोड़ रू ही बढ़ा और इसमें से कृषि कल्याण कोष 1000 करोड़ रू हटा दें तो बाकि बजट पिछले वर्ष की अपेक्षा 500 करोड़ रू कम ही होता है। सड़कों के लिये अगले 5 वर्षों में 3,500 करोड़ रूपये खर्च करने की घोषणा हुई, लेकिन इस वर्ष का सार्वजनिक निर्माण विभाग का आवंटन 6.37 करोड़ रू, यानी 7 करोड़ रूपये से कम ही रखा गया है। पेयजल के लिये 1,250 करोड़ रू की लागत से नयी ढ़ाणीयों में सौर उर्जा चलित डिफ्लोरीडेशन युनिट लगाने की घोषणा की गई है। नर्मदा परियोजना का पानी झुन्झुनूं में लाने के लिये 5 परियोजनाएं शुरू की जायेंगी। इसके अलावा पानी से जुड़ी कईं अन्य परियोजनाओं का पूरा करने की घोषणा की गई है।

लेकिन बेरोजगारी का मुद्दा बहुत बड़ा है। बजट भाषण में मुख्यमंत्री ने 11 जिलों में रिको द्वारा नये औद्योगिक क्षेत्र और इंटीग्रेटेड इंडस्ट्रीयल ज़ोन बाड़मेर–जोधपूर में आरम्भ करने के साथ ही राज्य में मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना शुरू करने की घोषणा की है, जिसमें 10 करोड़ रूपये तक के ऋण पर ब्याज अनुदान दिया जायेगा। इसमें स्वयं सहायता समूहों को भी शामिल किया जायेगा। साथ ही खादी संस्थाओं को देय रिवॉल्वींग फण्ड को बढ़ाया गया है। साथ ही 75,000 सरकारी पदों की भर्तीयों की घोषणा भी की गई है। कई प्रकार के पंजीयन एवं मुद्रांक पर छुट की घोषणा भी की गई, जिससे निर्माण क्षेत्र को फायदा हो सकता है। लेकिन बजट में बज़री की समस्या के लिये कोई ठोस समाधान नहीं रखा गया।

सामाजिक क्षेत्रों में मुख्यमंत्री मुफ्त दवा एवं जांच योजना का दायरा बढ़ाया जायेगा और 200 नये उप–स्वास्थ्य केन्द्र एवं 50 नये प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र सहित अन्य कई स्वास्थ्य केन्द्र खोलने एवं चिकित्सा महाविद्यालयों की घोषणा की गई है। 1000 करोड़ रूपये की प्रियदर्शीनी महिला शक्ति निधि की घोषणा की गई, जिससे महिलाओं को उद्यम स्थापना में सहयोग, कौशल विकास आदि कार्य किये जायेगें। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं एवं सहायिकाओं की मानदेय में वृद्धि, सर्वपल्ली राधाकृष्णन विद्यालय सुदृढ़िकरण योजना, दिव्यांग विद्यार्थियों के लिये मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा छात्रवृत्ती योजना, खेलों के

प्रोत्साहन की घोषणा भी हुई। साथ ही सीलीकोसिस नीति और नई शिक्षा नीति लाने की घोषणा भी की गई है।

कुल मिलकार इस बजट में काफी लुभावनी और अच्छी घोषणाएं हुई हैं और इनके लिये 2 लाख 32 हजार करोड़ का विशाल बजट रखा गया है, जिसके लिये 32,740 करोड़ रू का कर्ज लिया जायेगा। जहां तक सामाजिक क्षेत्रों का प्रश्न है इस वर्ष भी राज्य बजट का 45 प्रतिशत हिस्सा ही सामाजिक क्षेत्रों को मिला है जो 5 वर्ष पुर्व 48–49 प्रतिशत होता था। हम आशा करते हैं कि आने वाले वर्षो में सरकार इसमें निरंतर वृद्धि करेगी।

सरकार ने घाटे का बजट पेश किया है। लगभग 27 हजार करोड़ का राजस्व घाटा और कुल 32 हजार करोड़ का राजकोषीय घाटा होना अनुमानित है। इससे हालांकि सरकार पर वित्तीय बोझ पड़ेगा लेकिन अगर सरकारी खर्च बढ़ता है तो इससे बाजार में मांग में वृद्धि हो सकती है जो अर्थव्यवस्था को गति देने में सहायक हो सकेगा। जहां तक सरकार की वित्तिय स्थिति का सवाल है तो महत्त्वपूर्ण है कि राज्य सरकार के कुल राजस्व में स्वयं के करों का हिस्सा बढ़ा है जो मुख्यतः राज्य जीएसटी में हुई वृद्धि से संभव हुआ है। यह राज्य सरकार की मज़बूत होती वित्तीय स्थिति का परिचायक है।

लेकिन मुख्य सवाल है बजट और उसमें हुई घोषणाओं को प्रभावी रूप से लागू करने का। ज़ाहिर है इस वर्ष सरकार के पास अब केवल 9 महीने ही बचे हैं। लेकिन हम आशा कर सकते हैं कि इस बजट में दिखी सकारात्मकता आने वाले वर्षों में जारी रहेगी। क्रियान्वयन की दृष्टि से सरकार द्वारा जवाबदेही कानून लाने की घोषणा अत्यंत महत्त्वपूर्ण है। अगर सरकार ऐसा मज़बूत कानून कर्मचारियों एवं अफसरों को विश्वास में लेकर लाती है तो यह कानून देश में सरकारी तंत्र को जवाबदेह बनाने की नज़ीर बन सकता है।

राज्य में कृषि एवं सिंचाई हेतु आवंटन एवं खर्च

राजस्थान में कृषि क्षेत्र की स्थिति: राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से देश का सबसे बड़ा राज्य है, जबकि जनसंख्या की दृष्टि से 8वां बड़ा राज्य है। राज्य का कुल क्षेत्रफल 3.42 करोड़ हैक्टेयर है, जो देश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का करीब 10.4 प्रतिशत है। राज्य का 8.00 प्रतिशत क्षेत्रफल वानिकी के अन्तर्गत, 5.66 प्रतिशत क्षेत्रफल कृषि के अतिरिक्त भूमि के अन्तर्गत, 7.01 प्रतिशत क्षेत्रफल ऊसर तथा कृषि अयोग्य भूमि के अन्तर्गत, 4.88 प्रतिशत क्षेत्रफल स्थायी चारागाह तथा अन्य गोचर भूमि के अन्तर्गत, 0.08 प्रतिशत क्षेत्रफल वृक्षों के झुण्ड तथा बाग के अन्तर्गत, 11.78 प्रतिशत क्षेत्रफल बंजर भूमि के अन्तर्गत, 6.04 प्रतिशत क्षेत्रफल अन्य चालू पड़त भूमि के अन्तर्गत, 5.42 प्रतिशत क्षेत्रफल चालू पड़त के अन्तर्गत एवं 51.13 प्रतिशत शुद्ध बोया गया क्षेत्रफल के अन्तर्गत है।

इसी प्रकार 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य की जनसंख्या 6.86 करोड़ हो गई है, जो देश की कुल जनसंख्या का 5.67 प्रतिशत है। राज्य की करीब 62 प्रतिशत आबादी कृषि एवं संबंधित गतिविधियों से जुड़ी है। कृषि गणना, 2015–16 के अनुसार कुल क्रियाशील भूमि जोतों की संख्या 76.55 लाख है, जबकि वर्ष 2010–11 में यह संख्या 68.88 लाख थी, अर्थात भूमि जोतों की संख्या में 11.14 प्रतिशत की वृद्धि हुई। कुल जोतों में सीमान्त 40.12 प्रतिशत, लघु 21.90 प्रतिशत, अर्द्ध मध्यम 18.50 प्रतिशत, मध्यम 14.79 प्रतिशत, बडे आकार की तथा वर्गीकृत 4.69 प्रतिशत हैं। वर्ष 2010–11 की तुलना में 2015–16 में सीमांत, लघु, अर्द्ध मध्यम एवं मध्यम आकार की जोतों की संख्या में कमी हुई है। राज्य में वर्ष 2010–11 में कुल जोतों का क्षेत्रफल 211.36 लाख हैक्टेयर था, जो वर्ष 2015–16 में घटकर 208.73 लाख हैक्टेयर हो गया, अर्थात जोतों के कुल क्षेत्रफल में 1.24 प्रतिशत की कमी दर्ज हुई है। (स्रोतः आार्थिक समीक्षा 2018–19)

राज्य में सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी) में कृषि क्षेत्र का हिस्सा भी लगातार कम हो रहा है। वर्ष 2011–12 की स्थिर कीमतों पर राज्य सकल मूल्य संवर्धन (GSVA) में कृषि क्षेत्र का योगदान वर्ष 2011–12 में 28.24 प्रतिशत था जो कम होकर वर्ष 2014–15 में करीब 27.81 प्रतिशत हो गया एवं 2018–19 में और कम होकर करीब 24.4 प्रतिशत रहना अनुमानित है। इसके अलावा वर्ष 2017–18 की तुलना में स्थिर कीमतों (2011–12) पर वर्ष 2018–19 में कृषि क्षेत्र में वृद्धि बेहद कम, मात्र 2.48 रहने का अनुमान है वहीं गौर करने वाली बात यह है कि उद्योग एवं सेवा क्षेत्र में यह क्रमशः 6.39 प्रतिशत एवं 9.38 प्रतिशत रहने का अनुमान है। जबकि राज्य की आधे से अधिक आबादी कृषि एवं संबंधित गतिविधियों से संलग्न हैं।

राज्य में कुल कृषिगत क्षेत्र का 35 से 38 प्रतिशत क्षेत्र ही सिंचित है, जबकि शेष 62 से 65 प्रतिशत गैर सिंचित क्षेत्र है। राज्य में सिंचाई के विभिन्न स्रोतों पर सिंचाई की निर्भरता देखते हैं तो राज्य में 70 प्रतिशत से अधिक सिंचाई, कुओं एवं नलकूप पर निर्भर है। अन्य स्रोतों की कमी के कारण कुओं एवं नलकूपों द्वारा भूमिगत जल का तेजी से विदोहन हो रहा है एवं भूमिगत जल का स्तर निरंतर गिर रहा है।

तालिका 1: राज्य के कुल बजट के अनुपात में कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र तथा सिंचाई एवं बाढ नियंत्रण का बजट (करोड़ रू. में)

वर्ष	कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र		सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण	
	कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र का बजट	राज्य के कुल व्यय का प्रतिशत	सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण का बजट	राज्य के कुल व्यय का प्रतिशत
2014–15 (वास्तविक)	4537.8	3.89	2989.89	2.52

2015–16 (संशोधित)	5129.85	2.83	3246.55	1.79
2015–16 (वास्तविक)	4437.41	3.42	3120.36	2.41
2016–17 (अनुमान)	6515.93	3.85	4131.22	2.40
2016–17 (संशोधित)	6041.20	4.07	4080.46	2.75
2016–17 (वास्तविक)	5602.05	4.01	3901.26	2.79
2017–18 (अनुमान)	6159.06	3.69	4625.75	2.77
2017–18 (संशोधित)	6170.02	3.51	4398.65	2.50
2017–18 (वास्तविक)	5504.56	3.35	4245.46	2.58
2018–19 (अनुमान)	8828.01	4.47	5374.49	2.72
2018–19 (संशोधित)	9532.21	4.83	4229.64	2.14
2019–20 (अनुमान)	10085.84	4.62	4762.14	2.18

स्रोत : बजट पुस्तिका, वित्त विभाग, राजस्थान सरकार
(नोटः कुल राज्य बजट में उदय की राशि शामिल नहीं है।)

उपरोक्त तालिका में कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र तथा सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण के बजट को राज्य के कुल बजट के अनुपात में दर्शाया गया है जिसके अनुसार राज्य सरकार ने इस वर्ष अपने कुल व्यय की 4.62 प्रतिशत राशि कृषि एवं संबद्ध सेवाओं में तथा 2.18 प्रतिशत राशि सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण पर व्यय करना अनुमानित किया है। इस वर्ष कृषि एवं संबद्ध क्षेत्रों के बजट का राज्य बजट की तुलना में पिछले वर्ष के संशोधित अनुमान के मुकाबले में लगभग 0.19 प्रतिशत बिंदु कम हुआ है जबकि सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण का बजट गत वर्ष के संशोधित अनुमान से 0.04 प्रतिशत बिंदु अधिक है। वर्ष 2018–19 के बजट अनुमान में राज्य सरकार ने अपने कुल बजट का 4.47 प्रतिशत कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र के लिये आवंटित किया था जिसे संशोधित बजट में मामूली बढ़ाकर 4.83 प्रतिशत कर दिया है। जबकी सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण संबंधित सेवाओं पर 2018–19 के बजट अनुमान में राज्य के कुल बजट का 2.72 प्रतिशत आवंटित किया गया, जिसे संशोधित बजट में कुछ कम करके 2.14 प्रतिशत कर दिया गया। ऐसी स्थिती में जब कृषि क्षेत्र में पिछले कई वर्षों से वृद्धि की दर धीमी बनी हुई है राज्य सरकार ने कृषि एवं सिंचाई के आवंटन को पिछले वर्ष की तुलना में कोई बढ़ोत्तरी नहीं की है।

तालिका 2 : राज्य में कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र के लिये पिछले वर्षों में बजट आवंटन (करोड़ रू. में)

व्यय मद	2016–17 (अनुमान)	2016–17 (संशोधित)	2015–16 (वास्तविक)	2017–18 (अनुमान)	2017–18 (संशोधित)	2015–16 (वास्तविक)	2018–19 (अनुमान)	2018–19 (संशोधित)	2019–20 (अनुमान)
राजस्व व्यय									

फसल कृषि कर्म	3282.03	2968.43	2655.89	3085.13	2853.04	2567.35	3030.78	2802.46	2962.02
मृदा तथा जल संरक्षण	54.72	67.05	64.61	58.19	70.16	62.25	51.91	70.22	54.24
पशुपालन	721.52	787.15	776.64	894.35	1038.15	997.43	1288.16	1228.56	1547.87
डेरी विकास	8.7	0.00	0.00	11.33	5.38	1.77	4.01	39.13	200.00
मछली पालन	14.45	13.27	12.39	14.03	13.14	12.11	19.36	14.95	16.83
वानिकी तथा वन्य जीवन	876.69	830.91	794.06	764.00	804.51	716.70	859.45	789.57	824.91
खाद्य भंडारण तथा भंडागार	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
कृषि अनुंसधान तथा शिक्षा	227.58	220.36	218.67	228.06	238.48	239.92	266.90	278.60	294.05
सहकारिता	634.1	651.56	608.65	628.20	688.36	506.18	2694.20	3734.71	3832.67
अन्य कृषि कार्यक्रम	9.39	9.35	9.06	10.15	10.37	9.84	11.67	11.83	11.49
राजस्व व्यय योग	5829.21	5548.08	5139.97	5693.47	5721.58	5113.56	8226.43	8970.04	9744.08
पूंजीगत व्यय									
फसल कृषि कर्म	534.51	264.00	254.12	279.55	222.08	181.51	410.46	161.12	165.96
मृदा तथा जल संरक्षण	0.2	0.27	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
पशुपालन	7.75	6.04	4.51	32.66	29.82	29.03	25.60	33.77	37.90
डेरी विकास	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
मछली पालन	1.37	1.36	1.03	0.80	3.30	2.94	1.03	2.28	1.08
वानिकी तथा वन्य जीवन	114.28	193.02	173.74	135.58	176.29	160.58	155.12	106.75	128.01
खाद्य भंडारण तथा भंडागार	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
कृषि अनुंसधान तथा शिक्षा	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
सहकारिता	0.00	28.45	28.45	16.99	16.94	16.94	9.37	258.25	8.81
अन्य कृषि कार्यक्रम	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
पूंजीगत व्यययोग	686.72	493.12	462.09	465.59	448.43	391.01	601.58	562.17	341.76
महायोग	6515.93	6041.20	5602.05	6159.07	6170.02	5504.56	8828.01	9532.21	10085.84

स्रोत : बजट पुस्तिका, वित्त विभाग, राजस्थान सरकार

उपरोक्त तालिका के अनुसार कृषि एवं संबंद्ध क्षेत्र के लिये आवंटित बजट में इस वर्ष पिछले वर्ष के बजट अनुमान की तुलना में 1257 करोड़ रू की बढ़ोतरी तथा संशोधित अनुमान की तुलना में केवल 553 करोड़ रु की वृद्धि हुयी है। संशोधित अनुमान की तुलना में देखें तो यह बढ़ोतरी राजस्व मद में (774 करोड़) हुई है, जबकि पूंजीगत मद में 220 करोड़ रू की कमी हुई है। गौरतलब है कि सरकार ने इस वर्ष (2019–20) कृषक कल्याण कोष के गठन की घोषणा की है एवं इस हेतु 1000 करोड़ रु प्रस्तावित किये हैं। लेकिन इसकी एवज में सरकार ने कई महत्वपूर्ण योजनाओं एवं कार्यक्रमों के बजट में कटौती की है जिसका विवरण नीचे तालिका–4 में देखा जा सकता है।

इसके साथ ही पशुपालन, जो कि ग्रामीण आजीविका का मुख्य आधार है, के लिये इस वर्ष कुल 1585 करोड़ रू प्रस्तावित किये गये हैं जो कि पिछले वर्ष के बजट अनुमान से 272 करोड़ रू तथा पिछले वर्ष के संशोधित अनुमान से 323 करोड़ रू अधिक है।

तालिका 3 : राज्य में सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण के लिये पिछले तीन का बजट (करोड़ रू में)

व्यय मद	2016–17 (अनुमान)	2016–17 (संशोधित)	2016–17 (वास्तविक)	2017–18 (अनुमान)	2017–18 (संशोधित)	2017–18 (वास्तविक)	2018–19 (अनुमान)	2018–19 (संशोधित)	2019–20 (अनुमान)
राजस्व व्यय									
मुख्य सिंचाई	1435.08	1547.76	1493.02	1591.9	1640.37	1576.06	1787.51	1345.56	1496.57
मध्यम सिंचाई	302.85	298.16	297.53	321.96	325.46	319.08	367.56	214.98	237.91
लघु सिंचाई	204.11	185.38	132.68	157.25	155.70	143.74	155.44	159.25	146.37
कमान क्षेत्र विकास	21.19	19.71	18.57	20.49	19.84	18.18	22.99	22.12	22.51
योग राजस्व व्यय	1963.23	2051.02	1941.81	2091.59	2141.37	2057.07	2333.50	1741.90	1903.36
पूंजीगत व्यय									
मुख्य सिंचाई	1469.86	1236.72	1195.28	1720.66	1453.31	1408.11	2371.03	1816.56	1782.27
मध्यम सिंचाई	80.4	109.55	109.89	204.9	155.27	173.77	177.39	117.40	246.15
लघु सिंचाई	458.2	510.04	505.64	387.56	416.79	399.49	380.60	446.19	642.93
बाढ़ नियंत्रण परियोजनायें	30	25.00	124.43	40.00	161.92	133.13	109.27	92.17	155.42
कमान क्षेत्र विकास	129.38	148.12	24.21	181.03	70.00	73.88	2.70	15.42	32.00
योग पूंजीगत व्यय	2167.99	2029.44	1959.45	2534.16	2257.28	2188.39	3040.99	2487.74	2858.77
महायोग	4131.22	4080.46	3901.26	4625.75	4398.65	4245.46	5374.49	4229.64	4762.14

स्रोत : बजट पुस्तिका, वित्त विभाग, राजस्थान सरकार

वर्ष 2019–20 के बजट अनुमान में सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण के लिये आवंटित बजट में गत वर्ष के बजट अनुमान की तुलना में 612 करोड़ रू की कमी हुई है। लेकिन अगर पिछले वर्ष के संशोधित बजट की तुलना में देखें तो 2019–20 के बजट अनुमान में 533 करोड़ रू की कमी हुई है।

तालिका 4: कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र हेतु राज्य एवं केन्द्रीय योजनाओं में बजट प्रावधान (रू करोड़ में)

योजना	2018–19 (अनुमान)	2018–19 (संशोधित)	2019–20 (अनुमान)
राज्य योजनाएं			
अभिनव कार्यक्रम	10.48	35.58	6.57
कृषि विस्तार सेवाएं	3.76	3.29	2.66
कृषि शिक्षा हेतु बालिकाओं को प्रोत्साहन	7.0	9.20	8.5
खाद एवं उर्वरक	6.46	6.15	6.61
कृषि विभाग के भवनों का निर्माण	8.0	7.0	4.90
बागवानी का विकास	36.39	19.48	20.02

केन्द्रीय योजनाएं									
योजना	2018–19 (अनुमान)			2018–19 (संशोधित)			2019–20 (अनुमान)		
	राज्य निधि	केन्द्रीय सहायता	कुल	राज्य निधि	केन्द्रीय सहायता	कुल	राज्य निधि	केन्द्रीय सहायता	कुल

राष्ट्रीय कृषि विकास योजना	169.99	330.0	499.99	92.01	138.03	230.04	42.39	213.59	255.99
प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना	129.62	149.44	279.06	80.09	120.14	200.23	49.86	74.80	124.67
परंपरागत कृषि विकास कार्यक्रम	19.58	29.37		8.0	12.0	20.0	18.08	27.12	45.20
राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन									
राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन–तिलहन							21.2	31.9	53.1
राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन–न्यूट्रीसिरियल				2.73	4.09	6.82	4.1	6.1	10.2
राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन–वक्ष जनित तिलहन							0.3	0.4	0.7
राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन–गेंहू	8.9	13.4	22.34	6.43	9.65	16.08	7.4	11.1	18.6
राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन–दलहन	68.1	102.2	170.33	58.39	87.58	145.97	52.7	79.0	131.7
राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन–मोटे अनाज	10.9	16.3	27.14	4.91	7.36	12.27	4.2	6.4	10.6
राष्ट्रीय खाद्य्य सुरक्षा मिशन–वाणिज्यिक फसल	0.1	0.1	0.17	0.03	0.05	0.08	0.1	0.1	0.2

स्रोत : बजट पुस्तिका, वित्त विभाग, राजस्थान सरकार

सरकार ने इस वर्ष (2019–20) कृषक कल्याण कोष के गठन हेतु 1000 करोड़ रु. प्रस्तावित किये हैं जिससे बजट में गत वर्ष के संशोधित अनुमान की तुलना में करीब 553 करोड़ रु. की बढ़ोतरी दिख रही है। लेकिन इसकी एवज में सरकार ने कई महत्वपूर्ण योजनाओं एवं कार्यक्रमों (तालिका–4) के बजट में तकरीबन 500 करोड़ रु. कटौती की है। यदि कृषक कल्याण कोष के बजट (1000 करोड़ रु.) को शामिल नहीं किया जाये तो कुल मिलाकर कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र के बजट में कमी ही हुई है।

राज्य बजट में ग्रामीण विकास की स्थिति

राज्य में ग्रामीण विकास विकास के माध्यम से विभिन्न कल्याण एवं विकास की योजनाओं का संचालन किया जाता है। ग्रामीण विकास राज्य बजट में एक महत्वपूर्ण विषय है जिस पर सरकार सालाना बजट आवंटित करती है। इस वर्ष सरकार द्वारा अपने सालाना बजट में ग्रामीण विकास के लिये कुल 14625.15 करोड़ रू. की राशि के व्यय का अनुमान किया गया है। ग्रामीण विकास के अंतर्गत ग्राम विकास के लिए विशेष कार्यक्रम, ग्राम रोजगार, अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम, अन्य क्षेत्र विशेष कार्यक्रम, अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूँजीगत परिव्यय, अन्य क्षेत्र विशेष कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय मद के अंतर्गत राशि आवंटन को शामिल किया गया है।

राज्य बजट में ग्रामीण विकास हेतु आवंटन (राशि करोड़ रू में)

क्र.सं.	वर्ष	राज्य बजट	ग्रामीण विकास	प्रतिशत
1	वास्तविक (2012–13)	81263.91	5468.64	6.73 %
2	वास्तविक (2013–14)	94101.08	5785.87	6.15 %
3	वास्तविक (2014–15)	116605.48	11093.02	9.51 %
4	वास्तविक (2015–16)	129736.02	12971.37	10.00 %
5	वास्तविक (2016–17)	139727.68	12004.86	8.58%
6	अनुमानित (2017–18)	166753.90	14322.63	8.59%
7	संशोधित (2017–18)	175615.12	18826.31	10.72%
8	वास्तविक (2017–18)	164472.47	16055.95	9.76%
9	अनुमानित (2018–19)	197274.66	16009.64	8.12%
10	संशोधित (2018–19)	197258.89	14046.81	7.12%
11	अनुमानित (2019–20)	218222.05	14625.15	6.70%

स्रोत – बजट पुस्तकों के आधार पर
नोटः कुल राज्य बजट में उदय की राशि सम्मिलित नहीं है।

- वर्तमान वर्ष 2019–20 में ग्रामीण विकास हेतु राज्य के कुल बजट का 6.70 प्रतिशत लगभग 14625.15 करोड़ रू. का आवंटन हुआ है।
- वर्ष 2019–20 में ग्रामीण विकास हेतु पिछले वर्ष 2018–19 के अनुमानित बजट की तुलना में लगभग 1384.49 करोड़ कम तथा 2017–18 के वास्तविक व्यय की तुलना में लगभग 1430.8 करोड़ कम राशि का आवंटन किया गया है।
- पिछले 5 वर्षों से वर्तमान वर्ष 2018–19 तक ग्रामीण विकास हेतु राज्य बजट की तुलना में लगभग 6 से 11 प्रतिशत राशि है।
- वर्ष 2014–15 में ग्रामीण विकास के बजट में एकाएक वृद्वि होने का कारण अधिक आवंटन नहीं बल्कि केन्द्रीय सहायता की राशि का राज्य के आयोजना बजट में सम्मिलित होना है। जैसे– महानरेगा, इंदिरा आवास तथा राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन।
- पिछले वर्ष 2017–18 का संशोधित बजट इसी वर्ष के अुनमानित बजट तथा वर्तमान वर्ष 2018–19 के अनुमानित बजट की तुलना में अत्यधिक आवंटन दर्शाता है, जिसका एक मुख्य कारण वर्ष 2017–18 के संशोधित बजट में प्रधानमंत्री आवास योजना की राशि में एकाएक बढोत्तरी है।
- केन्द्र सरकार ने महानरेगा योजनान्तर्गत श्रमिकों के मजदूरी भुगतान के लिये 01 अप्रेल 2016 से एक नई पद्धति National Electronic Fund Management System (NeFMS) लागू की है। जिसके अंतर्गत 01 अप्रेल 2016 से महानरेगा में श्रमिकों को मजदूरी का भुगतान सीधे केन्द्र से

श्रमिकों के खातों में किया जा रहा है जिसकी जानकारी राज्य सरकार द्वारा अपनी बजट पुस्तिकाओं में उपलब्ध नहीं करवाई जा रही है। अतः इस नोट में महानरेगा के बजट का विश्लेषण केवल सामग्री बजट की जानकारी पर ही आधारित है।

राज्य बजट 2014–15 से ग्रामीण विकास हेतु राशि आवंटन (राशि करोड़ में)

वर्ष	आयोजना भिन्न	आयोजना	ग्रामीण विकास का कुल बजट	केन्दीय सहायता
अनुमानित (2014–15)	2065.94	12151.71	14217.64	(2049.03)
संशोधित (2014–15)	2150.84	10466.98	12617.83	(5561.93)
वास्तविक (2014–15)	1772.50	9350.57	11123.06	
अनुमानित (2015–16)	2166.32	11131.98	13298.30	(5825.91)
संशोधित (2015–16)	2086.85	12276.39	14363.24	(6130.02)
वास्तविक (2015–16)	2078.43	10892.94	12971.37	
अनुमानित (2016–17)	3031.09	12093.25	15124.34	(5907.30)
संशोधित (2016–17)	3203.36	10439.38	13642.74	(4137.23)
वास्तविक (2016–17)	3201.11	8803.75	12004.86	

स्रोत – बजट पुस्तकों के आधार पर

वर्ष	राज्य निधि	केन्द्रीय सहायता	ग्रामीण विकास का कुल बजट
अनुमानित (2017–18)	9632.21	4690.41	14322.63
संशोधित (2017–18)	11792.73	7033.58	18826.31
वास्तविक (2017–18)	11063.19	4992.76	16055.95
अनुमानित (2018–19)	8044.35	7965.29	16009.64
संशोधित (2018–19)	7122.71	6924.10	14046.81
अनुमानित (2019–20)	7018.32	7606.83	14625.15
प्रतिशत (%)	50.25 %	49.75 %	100 %

स्रोत – बजट पुस्तकों के आधार पर

नोटः वर्ष 2017–18 से राज्य सरकार ने बजट पुस्तिकाओं में आयोजना तथा आयोजना भिन्न मद का अलग अलग विवरण देना बंद कर दिया है। इसके स्थान पर राज्य सरकार द्वारा कुल आवंटन में राज्य निधि से खर्च तथा केन्द्रीय सहायता अंतर्गत प्राप्त राशि की जानकारी उपलब्ध करवाई जा रही है।

- इस वर्ष (2019–20) ग्रामीण विकास हेतु कुल अनुमानित बजट में से 47.99 प्रतिशत लगभग 7019.31 करोड़ रू. राज्य सरकार द्वारा तथा 52.01 प्रतिशत लगभग 7606.83 करोड़ रू. केन्द्र सरकार द्वारा आवंटित किये जाने प्रस्तावित हैं।
- वर्तमान वर्ष में केन्द्रीय सहायता अंतर्गत पिछले वर्ष 2018–19 के अनुमान की तुलना में 358.46 करोड़ रू. कम राशि तथा संशोधित की तुलना में 682.83 करोड़ रू. अधिक राशि का आवंटन किया गया है।
- इसी प्रकार वर्तमान वर्ष में राज्य निधि अंतर्गत पिछले वर्ष 2018–19 के अनुमान की तुलना में 1026.03 करोड तथा संशोधित बजट की तुलना में 104.39 करोड़ रू. कम राशि का आवंटन किया गया है।

पिछले वर्षों में ग्रामीण विकास के लिए मुख्य शीर्षवार राशि आवंटन (राशि करोड़ में)

क. सं.	मुख्य शीर्ष	मुख्य शीर्ष का विषय	2016–17 वास्तविक	2017–18 अनुमानित	2017–18 संशोधित	2017–18 वास्तविक	2018–19 अनुमानित	2018–19 संशोधित	2019–20 अनुमानित	प्रतिशत
1	**2501**	ग्राम विकास के लिए विशेष कार्यक्रम	**834.90**	**1058.59**	**1181.91**	**922.10**	**1310.92**	**831.15**	**844.66**	**5.78**
1.1		मरूस्थल विकास कार्यक्रम	0.00	0.00	0..00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1.2		बंजर भूमि विकास (राज्यांश)	752.31	892.13	911.23	651.43	910.85	708.33	510.37	
1.3		स्वरोजगार कार्यक्रम (राज्यांश)	82.58	166.45	270.67	270.67	400.07	122.82	334.29	
2	**2505**	ग्राम रोजगार	**2717.42**	**3193.35**	**7441.97**	**5573.84**	**3412.83**	**4405.51**	**4496.91**	**30.75**
2.1		राष्ट्रीय कार्यक्रम	932.55	1198.60	5507.22	3718.19	1328.64	2621.00	2396.91	
2.2		महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना(मनरेगा)	1774.67	1994.75	1934.75	1855.66	2084.19	1784.51	2100.00	
		अन्य कार्यक्रम	10.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
3	**2515**	अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम	**7587.19**	**9057.69**	**9127.96**	**8518.99**	**10245.81**	**8103.29**	**8606.56**	**58.85**
4	**2575**	अन्य क्षेत्र विशेष कार्यक्रम	**1.36**	**2.19**	**2.37**	**1.71**	**2.78**	**2.22**	**3.01**	**0.02**
4.1		पिछड़े क्षेत्र (मेवात, डांग)	0.91	1.69	1.87	1.21	2.28	1.72	2.51	
4.2		सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम	0.45	0.50	.50	0.50	0.50	0.50	0.50	
5	**4515**	अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत व्यय	**547.13**	**568.00**	**653.40**	**653**	**597.00**	**363**	**466.035**	**3.19**
6	**4575**	अन्य क्षेत्र विशेष कार्यक्रमों पर पूंजीगत व्यय	**316.55**	**442.81**	**418.73**	**386.28**	**440.30**	**341.91**	**207.99**	**1.42**
6.1		डांग जिले	47.26	49.41	49.41	49.41	49.28	**39.14**	**6.05**	
6.2		पिछडे क्षेत्र	132.93	233.90	171.39	138.89	198.19	139.47	67.11	
6.3		सीमा क्षेत्र विकास (केन्द्रीय सहायता)	136.36	159.5	197.98	197.98	192.83	163.3	134.83	
योग			**12004.84**	**14322.63**	**18826.34**	**16055.95**	**16009.64**	**14640.81**	**14625.55**	**100**

स्रोत – बजट पुस्तकों के आधार पर

- इस वर्ष ग्रामीण विकास के अंतर्गत सर्वाधिक राशि अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम तथा अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम पर पूंजीगत परिव्यय (दोनों को जोड़कर) के अंतर्गत जारी की गई है जो कुल ग्रामीण विकास के बजट का 62.03 प्रतिशत, लगभग 9072.60 करोड़ रू. है।
- अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम मुख्य शीर्ष के अंतर्गत राज्य एवं केन्द्रीय वित्त आयोग, पंचायतों को निर्बन्ध राशि, ग्रामीण बीपीएल आवास, टी.एस.पी., पिछड़ा जिला विकास कोष, सम्पूर्ण स्वच्छता कार्यक्रम एवं जिला नवाचार कोष को सम्मिलित किया गया है।

- अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय मुख्य शीर्ष के अंतर्गत पंचायती राज, सामुदायिक विकास, ग्राम विकास, अनुसूचित जातियों की विशिष्ट योजना एवं जनजातीय क्षेत्र उपयोजना को शामिल किया गया है।
- ग्राम रोजगार मद के अंतर्गत कुल आवंटन का 30.75 प्रतिशत लगभग 4496.91 करोड़ की राशि का आवंटन हुआ है, मनरेगा तथा प्रधानमंत्री आवास योजना जैसी बड़ी योजनाओं की राशि भी इस मद में शामिल है।
- ग्राम विकास के लिये विशेष कार्यक्रम के अंतर्गत कुल ग्रामीण बजट की 5.78 प्रतिशत, लगभग 844.66 करोड़ की राशि का आवंटन किया गया है जिसमें बंजर भूमि विकास तथा स्वरोजगार कार्यक्रम हेतु राज्य खर्च की राशि सम्मिलित है।
- पिछले कुछ वर्षों में मेवात क्षेत्र विकास कार्यक्रम तथा सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम के अंतर्गत खर्च कुल आवंटित राशि की तुलना में बहुत कम हो रहा है।

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के लिए कुल बजट (राशि करोड़ रू में)

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना								
वर्ष	2014–15 वास्तविक	2015–16 वास्तविक	2016–17 वास्तविक	2017–18 अनुमानित	2017–18 वास्तविक	2018–19 अनुमानित	2018–19 संशोधित	2019–20 अनुमानित
राशि	3229.90	3254.08	1760.47	1994.75	1855.66	2084.19	1784.51	2100

स्रोत – बजट पुस्तकों के आधार पर

- वर्तमान वर्ष में मनरेगा के लिये कुल 2100 करोड़ रू. का आवंटन किया गया है लेकिन यह केवल मनरेगा योजनान्तर्गत सामग्री मद में प्रस्तावित राशि की जानकारी है। इस लेख के प्रारम्भ में बताया गया है कि मनरेगा में श्रमिक भुगतान सीधे केन्द्र से किया जा रहा है।
- उपरोक्त तालिका के अध्ययन से मनरेगा योजना पर राज्य सरकार के खर्च को भी समझा जा सकता है। यदि देखा जाये तो वर्तमन वर्ष 2019–20 में वर्ष 2018–19 के संशोधित बजट अनुमान की तुलना में 315.49 करोड़ की वृद्धि की गई है।
- वर्ष 2017–18 के बजट अनुमान की तुलना में वास्तविक व्यय में 139.09 करोड़ रुपये की कमी कर 1855.66 करोड़ रुपये कर दिया गया है।

मनरेगा योजना की भौतिक प्रगति

क. सं.	विवरण	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18 जनवरी तक	2018-19
1	जॉब कार्डधारी परिवार (लाख में)	98.46	99.36	95.24	94.89	97.44
2	कार्य पर नियोजित परिवार (लाख में)	36.87	42.21	46.35	39.02	37.23
3	कुल सृजित मानव दिवस (लाख में)	1686.19	2341.34	2596.84	1663.94	1549.82
4	महिलाओं के मानव दिवस (लाख में)	1150.97	1616.06	1740.61	1081.42	
5	100 दिवस कार्य वाले परिवार (लाख में)	2.81	4.69	4.27	0.31	
6	औसत रोजगार दिवस प्रति परिवार	46	55	56	43	42
7	औसत श्रमिक दर रू. प्रति मानव दिवस	115	120	126	145	
8	कार्य पूर्णता का प्रतिशत	96.22 %	63.83 %	13.02 %	2.75 %	

स्रोत – महानरेगा की बेबसाईट के आधार पर

- वर्ष 2014–15 से 2017–18 तक वर्ष दर वर्ष मनरेगा की भौतिक प्रगति में कमी देखने में आई है।
- वर्तमान वर्ष में कार्य पर नियोजित परिवारों की संख्या वर्ष 2016–17 की तुलना में 46.35 लाख से घटकर वर्तमान वर्ष में 37.23 लाख हो गई है।
- वर्ष में 100 दिवस कार्य करने वाले परिवारों की संख्या भी पिछले वर्ष 2016–17 की तुलना में 1740.61 लाख से घटकर वर्तमान वर्ष में 1081.32 लाख रह गई है।
- महिलाओं के मानव दिवसों की संख्या में पिछले वर्ष 2016–17 की तुलना भारी गिरावट हुई है, यह पिछले वर्ष 44.27 लाख से घटकर वर्तमान वर्ष में 0.31 लाख रह गई है।
- वर्तमान वर्ष में औसत रोजगार दिवस प्रति परिवार की संख्या में पिछले वर्षों की तुलना में निरंतर कमी की जा रही है।
- मनरेगा में कार्यपूर्णता का प्रतिशत वर्ष 2014–15 में 96.22 प्रतिशत, 2015–16 में 63.83 प्रतिशत, वर्ष 2016–17 में 13.02 प्रतिशत तथा वर्तमान में और घटकर केवल 2.75 प्रतिशत तक ही रह गया है।

उपरोक्त आलेख के आधार पर ग्रामीण विकास हेतु कुल बजट आवंटन को मुख्य शीर्ष वार तथा योजनावार आधार पर समझा जा सकता है। इसके साथ ही राज्य में महानरेगा जैसी महत्वपूर्ण योजना हेतु आवंटन तथा उसकी वित्तीय तथा भौतिक प्रगति को समझा जा सकता है।

राज्य में जलापूर्ति एवं सफाई की स्थिति

राजस्थान सरकार पिछले कई वर्षों से पेयजल आपूर्ति के लिये राज्य बजट से राशि आवंटन करती रही है तथा वर्तमान में सरकार ने भी पेयजल को अपनी प्राथमिकता में रखा है। राज्य बजट से जलापूर्ति एवं सफाई के लिये राशि आवंटन एवं इसकी जानकारी 2215 एवं 4215 बजट शीर्ष के माध्यम से दी जाती है जिसका विस्तृत विवरण बजट पुस्तिका आय व्ययक अनुमान खण्ड 2स एवं 3अ में उल्लेखित किया गया है।

राज्य बजट की तुलना में जलापूर्ति एवं सफाई हेतु बजट (राशि करोड रू में)

वर्ष	राज्य का बजट	जलापूर्ति एवं सफाई हेतु बजट	राज्य बजट में प्रतिशत	प्रतिशत वृद्धि
वास्तविक (2012–13)	81263.91	2933.79	3.61 %	
वास्तविक (2013–14)	94101.08	4599.67	4.89 %	56.78
वास्तविक (2014–15)	116605.48	6565.54	5.63 %	42.74
वास्तविक (2015–16)	129736.02	6784.42	5.23 %	3.33
वास्तविक (2016–17)	139727.68	6818.87	4.88 %	0.51
अनुमानित (2017–18)	166753.90	8647.21	5.19 %	26.81
संशोधित (2017–18)	175615.12	8108.12	4.62 %	-6.23
वास्तविक (2017–18)	164472.47	7597.30	4.62 %	-6.31
अनुमानित (2018–19)	197274.66	8671.66	4.40 %	6.95
संशोधित (2018–19)	197258.89	7772.25	3.94 %	-10.37
अनुमानित (2019–20)	218222.05	8445.28	3.87 %	8.66

स्रोत – बजट पुस्तकों के आधार

नोटः कुल राज्य बजट में उदय की राशि सम्मिलित नहीं है।

उपरोक्त तालिका से यह देखा जा सकता है कि पिछले लगभग 7 वर्षों में राज्य बजट की तुलना में जलापूर्ति एवं सफाई का बजट लगभग 3.50 से 5.50 प्रतिशत के मध्य रहा है। वर्तमान वर्ष 2019–20 में जलापूर्ति एवं सफाई के लिये कुल 8445.28 करोड़ रू. का आवंटन किया गया है, जो कि राज्य के बजट का लगभग 3.87 प्रतिशत है। जलापूर्ति एवं सफाई मद के लिये पिछले वर्ष 2018–19 के बजट अनुमान में कुल 8647.19 करोड़ रू. का आवंटन किया गया था, जिसे वर्तमान वर्ष 2019–20 के बजट अनुमान में लगभग 226.38 करोड़ कम कर 8445.28 करोड़ रू. कर दिया गया है। राज्य सरकार ने वर्ष 2017–18 के बजट अुनमान की तुलना में वास्तविक व्यय में जलापूर्ति एवं सफाई हेतु आवंटन को कुल राज्य बजट की तुलना में 5.19 प्रतिशत से घटाकर 4.62 प्रतिशत कर दिया है।

इसके साथ ही जलापूर्ति एवं सफाई मद में आवंटित राशि की वृद्धि दर को भी उपरोक्त सारणी से समझा जा सकता है। पिछले वर्ष के बजट अनुमान की तुलना में संशोधित बजट में जलापूर्ति एवं सफाई के आवंटन में 10.37 प्रतिशत की गिरावट आई है तथा वर्तमान वर्ष में जलापूर्ति एवं सफाई हेतु आवंटन पिछले वर्ष के संशोधित अनुमान की तुलना में 8.66 प्रतिशत बढ़ा है।

यदि देखा जाये तो सरकार ने वर्ष 2012–13 से 2014–15 तक जलापूर्ति तथा सफाई हेतु आवंटन में निरंतर बढ़ोत्तरी की है लेकिन 2015–16 से 2019–20 तक सरकार ने इस मद में आवंटन को नियमित रूप से घटाया है। इसके साथ ही राज्य सरकार जलापूर्ति एवं सफाई मद में प्रत्येक वर्ष के बजट अनुमानों में मोटी राशि का आवंटन करती है, लेकिन हर वर्ष संशोधित अनुमान तथा वास्तविक खर्च के

आंकड़े तय अनुमानों से कम राशि के खर्च की जानकारी मिलती है, जो कि सरकार तथा संबंधित विभागों के प्रभावी क्रियान्वयन पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है।

जलापूर्ति एवं सफाई हेतु आवंटित बजट का वितरण (राशि करोड़ रू में)

वर्ष	आयोजना भिन्न	आयोजना	जलापूर्ति एवं सफाई हेतु बजट
2014–15 (वास्तविक)	2082.3	4483.22	6565.54
2015–16 (वास्तविक)	2400.99	4383.43	6784.42
2016–17 (वास्तविक)	2619.14	4199.72	6818.87

स्रोत– बजट पुस्तकों के आधार

(राशि करोड़ रू में)

वर्ष	राज्य निधि	केन्द्रीय सहायता	जलापूर्ति एवं सफाई हेतु बजट
अनुमानित (2017–18)	7581.49	1065.72	8647.21
संशोधित (2017–18)	7042.40	1065.72	8108.12
वास्तविक (2017–18)	6723.95	873.35	7597.30
अनुमानित (2018–19)	7720.03	951.63	8671.66
संशोधित (2018–19)	6820.63	951.62	7772.25
अनुमानित (2019–20)	7492.09	953.19	8445.28
प्रतिशत (%)	88.71 %	11.29 %	100 %

स्रोत– बजट पुस्तकों के आधार

नोट: वर्ष 2017–18 से राज्य सरकार ने बजट में आयोजना तथा आयोजना भिन्न मद के विवरण के स्थान पर राज्य निधि से खर्च तथा केन्द्रीय सहायता की राशि की जानकारी उपलब्ध करवा रही है।

वर्तमान वर्ष 2019–20 में जलापूर्ति एवं सफाई के लिये कुल 8445.28 करोड़ रू. खर्च होना प्रस्तावित है, जिसमें से 7492.09 करोड़ रू. लगभग 88.71 प्रतिशत राज्य निधि से तथा 953.19 करोड़ रू. लगभग 11.29 प्रतिशत केन्द्रीय सहायता अंतर्गत खर्च होने प्रस्तावित हैं। पिछले वर्ष 2018–19 के बजट अनुमान में जलापूर्ति एवं सफाई मद के लिए कुल 8671.66 करोड़ रू. का आवंटन किया गया था, जिसमें से 7720.03 करोड़ रू. लगभग 89.03 प्रतिशत राज्य निधि तथा 951.63 करोड़ लगभग 10.97 प्रतिशत केन्द्रीय सहायता के अंतर्गत खर्च किया जाना प्रस्तावित था।

जलापूर्ति एवं सफाई हेतु आवंटित कुल बजट (राशि करोड़ रू में)

वर्ष	**जलापूर्ति**	**सफाई**	**कुल**
2012–13 (वास्तविक)	2718.00	215.80	2933.79
2013–14 (वास्तविक)	4353.34	246.33	4599.67
2014–15 (वास्तविक)	6324.52	241.02	6565.54
2015–16 (वास्तविक)	6524.59	259.77	6784.42
2016–17 (वास्तविक)	6499.03	319.84	6818.87
2017–18 (अनुमानित)	8298.04	349.17	8647.21
2017–18 (संशोधित)	7776.51	331.60	8108.12
2017–18 (वास्तविक)	7300.82	296.48	7597.30
2018–19 (अनुमानित)	8313.55	358.12	8671.66

2018–19 (संशोधित)	7365.95	406.30	7772.25
2019–20 (अनुमानित)	8000.17	445.11	8445.28
प्रतिशत (%)	94.73 %	5.27 %	100

स्रोत – बजट पुस्तकों के आधार

उपरोक्त तालिका के अध्ययन से राज्य सरकार द्वारा जलापूर्ति एवं सफाई मद में आवंटित कुल राशि को अलग–अलग करके समझा जा सकता है। वर्तमान वर्ष 2019–20 में जलापूर्ति एवं सफाई हेतु कुल 8445.28 करोड़ का आवंटन किया गया है, यह आवंटन पिछले वर्ष की तुलना में कम रहा है। इस आवंटन में से 8000.17 करोड़, लगभग 94.73 प्रतिशत जलापूर्ति तथा 445.11 करोड़, लगभग 5.27 प्रतिशत सफाई हेतु आवंटित किया गया है। पिछले वर्ष 2018–19 के बजट अनुमान में जलापूर्ति एवं सफाई मद के लिये कुल 8671.66 करोड़ रू. का आवंटन किया गया था, जिसमें से 95.87 प्रतिशत, लगभग 8313.55 करोड़ रू. जलापूर्ति तथा 358.12 करोड़, लगभग 4.13 प्रतिशत सफाई मद में आवंटित किया गया था। यदि देखा जाये तो जलापूर्ति हेतु पिछले वर्ष के बजट अनुमान की तुलना में इस वर्ष 313.38 करोड़ की कमी की गई है तथा सफाई के लिये 86.99 करोड़ रू. अधिक का आवंटन किया गया है।

जलापूर्ति बजट का वितरण (राशि करोड़ रू. में)

मद	2017–18 (वास्तविक)	2018–19 (अनुमानित)	2018–19 (संशोधित)	2019–20 (अनुमानित)	प्रतिशत
शहरी जलापूर्ति	2118.93	2283.81	2265.72	2358.06	29.48 %
ग्रामीण जलापूर्ति	3739.60	4263.46	3732.88	4041.95	50.52 %
अनुसूचित जाति	804.60	1011.54	777.52	910.03	11.38 %
जनजाति	636.73	753.47	588.12	688.40	8.60 %
प्रशिक्षण एवं अन्य व्यय	1.45	1.77	1.76	1.93	0.02 %
अन्य हास	-0.49	-0.50	-0.03	-0.20	-0.0 %
कुल	7300.82	8313.55	7365.95	8000.17	100 %

स्रोत – बजट पुस्तकों के आधार

उपरोक्त तालिका के अध्ययन से स्पष्ट होता है, वर्तमान वर्ष 2019–20 में जलापूर्ति एवं सफाई मद के लिये कुल 8445.28 करोड़ रू. का आवंटन किया गया है, जिसमें से लगभग 94.73 प्रतिशत राशि का व्यय जलापूर्ति पर होना प्रस्तावित है। वर्ष 2019–20 में जलापूर्ति हेतु कुल 8000.17 करोड रू. का आवंटन किया हुआ है, जिसमें से सर्वाधिक आवंटन ग्रामीण जलापूर्ति हेतु 4041.95 करोड़ लगभग 50.52 प्रतिशत तथा शहरी जलापूर्ति के लिए 2358.06 करोड़ लगभग 29.48 करोड़ रू. का आवंटन किया गया है। इसके साथ ही जलापूर्ति हेतु कुल आवंटित राशि में से लगभग 11.38 प्रतिशत राशि अनुसूचित जाति उपयोजना तथा 8.60 प्रतिशत राशि जनजाति उपयोजना में खर्च होनी प्रस्तावित है। वर्तमान वर्ष में ग्रामीण जलापूर्ति मद में पिछले वर्ष 2018–19 के बजट अनुमान की तुलना में 221.51 करोड़ रु. की कमी की गई है।

मल जल तथा सफाई बजट का वितरण (राशि करोड़ रू. में)

मद	2017–18 (वास्तविक)	2018–19 (अनुमानित)	2018–19 (संशोधित)	2019–20 (अनुमानित)	प्रतिशत
निदेशन प्रशासन	288.76	347.21	394.96	433.18	97.32 %

सर्वेक्षण तथा जांच पड़ताल	1.91	2.33	2.69	2.87	0.64 %
मल जल सेवाएं	1.41	1.93	2.04	2.46	0.55 %
नगर पालिका/परिषद को सहायता	4.40	6.60	6.60	6.60	1.48 %
कुल	296.48	358.12	406.30	445.11	100 %

स्रोत – बजट पुस्तकों के आधार

उपरोक्त तालिका के अध्ययन से स्पष्ट होता है, वर्तमान वर्ष 2019–20 में जलापूर्ति एवं सफाई मद के लिये कुल 8445.28 करोड़ रू. का आवंटन किया गया है, जिसमें से केवल 5.27 प्रतिशत राशि का व्यय सफाई पर होना प्रस्तावित है। वर्ष 2019–20 में सफाई हेतु कुल 445.11 करोड रू. का आवंटन हुआ है, जिसमें से सर्वाधिक 97.32 प्रतिशत लगभग 433.18 करोड़ रू. निदेशन एवं प्रशासन मद में खर्च होने प्रस्तावित हैं। इसके साथ ही सफाई हेतु आवंटित कुल राशि में से केवल 2.87 प्रतिशत राशि से सर्वेक्षण, जांच पड़ताल, मल–जल सेवाओं का सुधार तथा नगर पालिका एवं परिषदों को सहायता देने की बात कही गई है।

राजस्थान में शिक्षा की स्थिति एवं बजट

भारत विश्व के निम्न मानव विकास सूचकांक वाले देशों में आता है। 2014 के मानव विकास सूचकांक के अनुसार भारत विश्व के 180 देशों में 130वें पायदान पर है जो बेहद ही शर्मनाक स्थिति है। देशों में शिक्षा की स्थिति मानव विकास सूचकांक का एक हिस्सा है। संयुक्त राष्ट्र द्वारा प्रकाशित सहस्त्राब्दि विकास लक्ष्य और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स 2015 में शिक्षा पर विशेष ज़ोर दिया गया है। भारत में फिलहाल 29 राज्य और 7 केन्द्र शासित प्रदेश हैं। अगर इन राज्यों का मानव विकास सूचकांक देखें तो हम पाएंगे कि राजस्थान निम्न सूचकांक वाले राज्यों में है। राजस्थान में शिक्षा की स्थिति भी अन्य राज्यों की तुलना में बहुत खराब है। 2011 के जनगणना प्रतिवेदन के अनुसार राज्य में साक्षरता दर 67. 06 प्रतिशत है, जो देश की औसत साक्षरता दर (74.04 प्रतिशत) से कम है। वर्ष 2001 से 2011 के बीच राजस्थान भारत के राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों की सूची में 4 पायदान लुढ़ककर 29वें स्थान से 33वें स्थान पर पहुँच गया है। पुरूष एवं महिला साक्षरता दर के मामले में भी राजस्थान बाकि राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों से बहुत पीछे है। 2011 के जनगणना प्रतिवेदन के अनुसार राज्य में पुरूष साक्षरता दर 80.51 है जबकि महिला साक्षरता दर केवल 52.66 प्रतिशत है। भारत में महिला साक्षरता की दृष्टि से राजस्थान सबसे निचले पायदान पर है।
जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान ग्रामीण सारक्षरता दर (62.34) में देश के अन्तिम पाँच राज्यों में से एक है। शिक्षा के अधिकार कानून हेतु तय मापदंडों के अनुसार भी राज्य की स्थिति बेहद खराब है। प्रस्तुत नोट में राज्य में शिक्षा की स्थिति एवं आवंटित बजट का विश्लेषण प्रस्तुत किया गया है।

विद्यालयों में बुनियादी सुविधाओं की स्थितिः राज्य के विद्यालयों में बुनियादी सुविधाओं की स्थिति बेहद कमज़ोर है जिसका विवरण इस खंड में दर्शाया गया है।

तालिका–1ः प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में बुनियादी सुविधाओं की स्थिति (प्रतिशत)

सुविधाएं	केवल प्राथमिक	केवल उच्च प्राथमिक	कुल
पेयजल की सुविधा	95.3	98.8	97.5
लड़कों हेतु शौचालय की सुविधा	98.3	99.6	99.0
लड़कियों हेतु शौचालय की सुविधा	97.7	100	99.7
बिजली की सुविधा	20.5	73.6	58.3
विद्यालय में चार दीवारी	68.5	93.3	84.3
खेल का मैदान	36.6	58.1	53.6
छप्पर सहित रसोई घर	79.8	85.4	81.4

स्रोत : डाइस स्टेट रिर्पोट कार्ड, 2016–17

उपरोक्त तालिका के अनुसार राज्य के करीब 2.5 प्रतिशत विद्यालयों में पेयजल की सुविधा का अभाव है एवं करीब 1 प्रतिशत विद्यालयों में लड़कों हेतु शौचालय की सुविधा का अभाव है। राज्य में करीब 47 प्रतिशत विद्यालयों में खेल का मैदान नहीं हैं, प्राथमिक विद्यालयों में यह समस्या और अधिक है। इसी प्रकार करीब 42 प्रतिशत विद्यालय ऐसे हैं जिनमें बिजली की सुविधा उपलब्ध नहीं है।

तालिका–2ः विद्यालयों में प्रदर्शन सूचकांक

प्रदर्शन सूचकांक	प्राथमिक (प्रतिशत में)	समस्त विद्यालय (प्रतिशत में)
एकल कक्षा–कक्ष वाले विद्यालय	6.1	2.7
एकल अध्यापक वाले विद्याालय	30.9	12.4
विद्यार्थी–शिक्षक अनुपात (पी.टी.आर)	20	18
विद्यार्थी कक्ष अनुपात (एस.सी.आर.)	14	20
प्रति विद्यालय औसत अध्यापक	2.2	6.3

स्रोत : डाइस डेटा, स्टेट रिर्पोट कार्ड, 2016–17

राज्य में करीब 2.7 प्रतिशत ऐसे विद्यालय हैं जो कि मात्र एक ही कक्षाकक्ष में चल रहे हैं और राज्य में कुल 6.1 प्रतिशत प्राथमिक विद्यालयों में मात्र एक ही कक्षा–कक्ष है। राज्य में करीब 12.4 प्रतिशत ऐसे विद्यालय हैं जिन्हें सिर्फ एक ही शिक्षक द्वारा संचालित किया जा रहा है। वहीं प्राथमिक शिक्षा स्तर पर लगभग 31 प्रतिशत विद्यालय मात्र एक ही शिक्षक के सहारे चल रहे हैं। इसी प्रकार प्राथमिक विद्यालयों में विद्यार्थी शिक्षक अनुपात 20 है और राज्य का कुल विद्यार्थी शिक्षक अनुपात 18 है। राज्य में प्रति विद्यालय औसत अध्यापक 6.3 है और ये अनुपात प्राथमिक विद्यालयों में 2.2 है।

इसके अलावा राज्य के विद्यालयों में मानव संसाधन की स्थिति बेहद खराब है, विभिन्न प्रकार के विद्यालयों में शिक्षकों के हजारों पद रिक्त हैं। जबकि सोचने वाली बात यह है कि डाईस के अनुसार राज्य के विद्यालयों में विद्यार्थी–शिक्षक अनुपात (पी.टी.आर) काफी अच्छा है।

राजस्थान में शिक्षा बजटः राज्य में शिक्षा बजट की स्थिति का विवरण इस खंड में दर्शाया गया है।

तालिका–3ः राजस्थान में सरकार का शिक्षा हेतु बजट एवं व्यय (राशि करोड़ रू. में)

मद	2015–16 बजट अनुमान	2015–16 संशोधित अनुमान	2015–16 वास्तविक	2016–17 बजट अनुमान	2016–17 संशोधित अनुमान	2016–17 वास्तविक व्यय	2017–18 बजट अनुमान	2017–18 संशोधित अनुमान	2017–18 वास्तविक व्यय	2018–19 बजट अनुमान	2018–19 संशोधित अनुमान	2019–20 बजट अनुमान
राजस्व	23707.67	22221.22	21096.95	25222.66	25563.19	24498.21	26807.18	28012.51	26668.08	33721.35	35335.33	39206.01
पूंजीगत	116.90	170.04	155.02	239.12	139.12	119.07	881.00	585.48	514.62	831.96	900.63	808.08
कुल व्यय	23824.57	22391.26	21251.97	25461.78	25702.31	24617.28	27688.18	28597.99	27182.70	34553.32	36235.96	40014.09
राज्य के बजट वयय से प्रतिशत	17.3	16.3	16.4	16.8	17.3	17.6	16.6	16.3	16.5	17.5	18.4	18.3
जी.एस.डी.पी. से प्रतिशत	3.5	3.3	3.2	3.4	3.4	3.2	3.3	3.4	3.3	3.7	3.9	3.9

स्रोत : बजट पुस्तिका, वित्त विभाग, राजस्थान, संबंधित वर्ष

नोट : शिक्षा पर कुल व्यय में सामान्य शिक्षा, तकनिकी शिक्षा, खेलकूद एवं युवा सेंवाएं, कला एवं संस्कृति का राजस्व एवं पूंजीगत व्यय का योग है।

उपरोक्त तालिका के अनुसार वर्ष 2019–20 हेतु पेश किये गये बजट में शिक्षा पर आवंटन में गत वर्षों की तुलना में मामूली वृद्धि हुई है। वर्ष 2019–20 हेतु करीब 40014.09 करोड़ रू आवंटित किये हैं जो गत वर्ष के संशोधित बजट से करीब 10.4 प्रतिशत अधिक है। गत वर्ष 2018–19 हेतु पेश किये गये बजट में शिक्षा हेतु करीब 34553.32 करोड़ रू आवंटित किये गये थे जिसको संशोधित बजट में कुछ बढ़ाकर करीब 36235.96 करोड़ रू कर दिया गया है। सरकार द्वारा शिक्षा पर किये गए कुल व्यय में पूंजीगत व्यय मात्र करीब 2.5 से 3 प्रतिशत है, जबकि तकरीबन 97 से 97.5 प्रतिशत राजस्व व्यय है। गत वर्षों की तुलना में वर्ष 2017–18 एवं 2019–20 के दौरान बजट में पूंजीगत आवंटन में बढ़ोतरी की गयी है लेकिन इस साल 2019–20 के बजट अनुमान भी गत वर्ष के संशोधित बजट की तुलना में करीब 92 करोड़ रू की कमी की गयी है। राज्य में शिक्षा पर कुल बजट व्यय को राज्य के कुल बजट व्यय के प्रतिशत रुप में देखा जाये तो यह विगत 5 वर्षों में करीब 16–17.5 प्रतिशत रहा है। इसी प्रकार यदि राज्य में शिक्षा पर कुल बजट व्यय की तुलना सकल घरेलू राज्य उत्पाद (जी.एस.डी.पी.) से की जाये तो यह मात्र करीब 3 से 3.5 प्रतिशत के आसपास रहा है। इस वर्ष 2019–20 के बजट

अनुमान के अनुसार राज्य में शिक्षा पर कुल आवंटन राज्य के कुल बजट व्यय का 18.3 प्रतिशत एवं जीएसडीपी का 3.9 प्रतिशत है।

सामान्य शिक्षा पर राजस्व व्यय:

तालिका–4: सामान्य शिक्षा पर राजस्व व्यय (2202) (राशि करोड़ रू. में)

मद	2015–16 बजट अनुमान	2015–16 संशोधित अनुमान	2015–16 वास्तविक	2016–17 बजट अनुमान	2016–17 संशोधित अनुमान	2016–17 वास्तविक व्यय	2017–18 बजट अनुमान	2017–18 संशोधित अनुमान	2017–18 वास्तविक व्यय	2018–19 बजट अनुमान	2018–19 संशोधित अनुमान	2019–20 बजट अनुमान
प्राथमिक शिक्षा	13614.5 (58.39)	10854.3 (49.74)	10517.4 (50.74)	11787.7 (47.51)	11041.3 (43.92)	10647.6 (44.2)	10970.7 (41.58)	11211.3 (40.7)	10645.9 (40.5)	13260.2 (39.9)	14107.5 (40.5)	16106.05 (41.6)
माध्यमिक शिक्षा	8246.16 (35.36)	9489.67 (43.49)	8775.45 (42.34)	11442.9 (46.12)	12553.4 (49.93)	11985.2 (49.7)	13788.8 (52.26)	14745.5 (53.5)	14141.5 (53.8)	18096.1 (54.5)	18905.3 (54.2)	20608.47 (53.2)
उच्च शिक्षा	1076.50 (4.62)	1175.48 (5.39)	1164.64 (5.62)	1226.54 (4.94)	1225.76 (4.88)	1169.6 (4.9)	1248.16 (4.73)	1226.7 (4.4)	1145.0 (4.4)	1372.8 (4.1)	1412.5 (4.1)	1529.35 (4.0)
प्रोढ़ शिक्षा	87.46 (0.38)	40.17 (0.18)	19.20 (0.09)	68.10 (0.27)	26.43 (0.11)	25.1 (0.1)	58.86 (0.22)	56.3 (0.2)	45.5 (0.2)	59.8 (0.2)	26.8 (0.1)	17.18 (0.)
भाषा विकास	212.82 (0.91)	191.04 (0.88)	187.42 (0.9)	205.31 (0.83)	216.48 (0.86)	208.1 (0.9)	238.36 (0.90)	248.0 (0.9)	231.3 (0.9)	310.3 (0.9)	301.3 (0.9)	328.93 (0.8)
सामान्य	79.90 (0.34)	69.86 (0.32)	63.68 (0.31)	82.31 (0.33)	78.17 (0.31)	70.8 (0.3)	81.49 (0.31)	91.6 (0.3)	79.7 (0.3)	107.2 (0.3)	105.5 (0.3)	122.23 (0.3)
कुल	23317.4 (100)	21820.6 (100)	20727.8 (100)	24812.9 (100)	25141.6 (100)	24106.5 (100)	26386.4 (100)	27579.4 (100)	26288.9 (100)	33206.5 (100)	34859.0 (100)	38712.2 (100)

स्रोत : बजट पुस्तिका, वित्त विभाग, राजस्थान, संबंधित वर्ष
नोट : ( ) में विभिन्न मदों का कुल व्यय से प्रतिशत है।

शिक्षा बजट में वर्ष 2015–16 तक राजस्व व्यय की करीब आधे से अधिक (54 से 60 प्रतिशत) राशि प्राथमिक शिक्षा पर आवंटित एवं व्यय की जाती थी, माध्यमिक शिक्षा पर करीब 33 से 39 प्रतिशत राशि व्यय की जाती रही है। जबकि वर्ष 2015–16 से प्राथमिक शिक्षा के बजट में लगातार कटौती कर माध्यमिक शिक्षा में बढ़ोतरी की गयी है। कुल शिक्षा बजट का केवल 4 से 5 प्रतिशत ही उच्च शिक्षा पर व्यय हो रहा है। इसके अलावा पिछले वर्षों की तुलना में इस वर्ष प्रोढ़ शिक्षा एवं भाषा विकास में भी थोड़ी कमी देखी जा सकती है।

सामान्य शिक्षा पर पूंजीगत व्यय :

तालिका–5: शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत व्यय (4204) (राशि करोड़ रू. में)

वर्ष	2015–16 बजट अनुमान	2015–16 संशोधित अनुमान	2015–16 वास्तविक	2016–17 बजट अनुमान	2016–17 संशोधित अनुमान	2016–17 वास्तविक	2017–18 बजट अनुमान	2017–18 संशोधित अनुमान	2017–18 वास्तविक व्यय	2018–19 बजट अनुमान	2018–19 संशोधित अनुमान	2019–20 बजट अनुमान
राशि	116.90	170.04	155.0	239.1	139.1	119.1	881.7	585.5	514.62	831.96	900.63	808.08

स्रोत : बजट पुस्तिका, वित विभाग, राजस्थान, संबंधित वर्ष

जैसा कि उपर स्पष्ट किया गया है कि सरकार द्वारा शिक्षा पर किये गए कुल व्यय में पूंजीगत व्यय 2–3 प्रतिशत है, जबकि करीब 97–98 प्रतिशत से अधिक राजस्व व्यय है। अतः शिक्षा पर कुल व्यय में अधिकांश व्यय राजस्व मदों के अंतर्गत किया जाता है। शिक्षा हेतु पूंजीगत बजट में वर्ष 2018–19 में करीब 831.9 करोड़ रु. आवंटित किये थे जिसको संशोधित बजट में बढ़ाकर 900.6 करोड़ रु. कर दिया गया है। लेकिन साल 2019–20 के बजट अनुमान में पूंजीगत बजट को कम करके करीब 808 करोड़

रु. रखा गया है। अतः वर्ष 2018–19 के संशोधित अनुमान की तुलना में 2019–20 के बजट अनुमान में शिक्षा पर पूंजीगत बजट में करीब 92 करोड़ रु. की कमी की गयी है।

समग्र शिक्षा अभियानः वित्त वर्ष 2018–19 में केन्द्र सरकार द्वारा समग्र शिक्षा अभियान लागू किया गया। इस कार्यक्रम में सर्व शिक्षा अभियान, माध्यमिक शिक्षा अभियान एवं शिक्षक प्रशिक्षण (Teacher Education-TE) को शामिल कर दिया गया है। हालांकि वर्ष 2019–20 में भी राज्य की बजट पुस्तिकाओं में सर्व शिक्षा अभियान एवं माध्यमिक शिक्षा अभियान मदों के अंतर्गत ही बजट ही बजट दर्शाया गया है।

राज्य में सर्व शिक्षा अभियान का बजट :
सर्व शिक्षा अभियान, देश में प्राथमिक शिक्षा के सर्वव्यापीकरण की प्राप्ति व शिक्षा में जेण्डर–गैप खत्म करने हेतु भारत सरकार का एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम (फ्लैगशिप प्रोग्राम) है। यह कार्यक्रम विद्यालयी शिक्षा एवं बुनियादी सुविधाओं के अभाव वाली बस्तियों एवं क्षेत्रों के विद्यालयों में कक्षा कक्षों का निर्माण, शौचालय निर्माण, अतिरिक्त शिक्षकों नियुक्ति एवं पीने के पानी की व्यवस्था आदि सुविधाओं के विकास हेतु वर्ष 2001–02 से चलाया जा रहा है। सर्व शिक्षा अभियान के प्रमुख उद्देश्यों में 6–14 वर्ष की आयु वर्ग के सभी बच्चों को वर्ष 2007 तक प्राथमिक शिक्षा एवं 2010 तक उच्च प्राथमिक शिक्षा प्रदान करने का लक्ष्य रखा था। इसके अलावा शिक्षा के अधिकार कानून के बेहतर क्रियांवयन को सुनिश्चित करना भी सर्व शिक्षा अभियान का एक प्रमुख उद्देश्य है। केन्द्र सरकार ने सर्व शिक्षा अभियान कार्यक्रम के अन्तर्गत अपना सहायता अनुपात भी धीरे–धीरे कम कर दिया गया है।

तालिका–6: राज्य में सर्व शिक्षा अभियान का बजट (राशि करोड़ रू. में)

मद / वर्ष	2015–16 बजट अनुमान	2015–16 संशोधित अनुमान	2015–16 वास्तविक	2016–17 बजट अनुमान	2016–17 संशोधित अनुमान	2016–17 वास्तविक	2017–18 बजट अनुमान	2017–18 संशोधित अनुमान	2017–18 वास्तविक	2018–19 बजट अनुमान	2018–19 संशोधित अनुमान	2019–20 बजट अनुमान
केन्द्रीय अनुदान	1296.71 (26.00)	2615.00 (64.97)	–	2718.43 (60)	2718.43 (60)		2718 (60.00)	3393.9 (60.12)	3234.5 (60.9)	4319.8 (61.3)	4947.8 (64)	2661.4 (30)
कुल योग	4987.34 (100)	4025 (100)	4025.00	4530.71	4530.72	उपलब्ध नहीं	4531 (100)	5644.8 (100)	5313.3 (100)	7050 (100)	7733.8 (100)	8863.2 (100)

स्रोत : बजट पुस्तिका, वित विभाग, राजस्थान, संबंधित वर्ष

वर्ष 2014–15 से केन्द्र सरकार द्वारा सर्व शिक्षा अभियन हेतु आवंटित होने वाले बजट को राज्य बजट में शामिल किया जा रहा है। इससे पहले सर्व शिक्षा अभियान की राशि केन्द्र सरकार द्वारा राज्य के प्रारंभिक शिक्षा परिषद को प्रदान की जाती थी। यह राशि वर्ष 2014–15 से राज्य सरकार को प्रदान की जाती है। सर्व शिक्षा अभियान की अधिकांश राशि शिक्षकों के वेतन पर व्यय होती है, वित्तीय वर्ष 2016–17 में एस.एस.ए. के कुल आंवटित बजट का लगभग 90 प्रतिशत वेतन भत्ते के लिए आवंटित किया गया था। वित्तीय वर्ष 2019–20 के बजट अनुमान में एस.एस.ए का कुल बजट करीब 8863 करोड़ रु. रखा गया है जो गत वर्ष के बजट अनुमान एवं संशोधित अनुमान से 1130 करोड़ अधिक है।

माध्यमिक शिक्षा अभियान का बजटः

तालिका–7: राज्य में माध्यमिक शिक्षा अभियान का बजट (राशि करोड़ रू. में)

मद	2015–16 बजट अनुमान	2015–16 संशोधित अनुमान	2015–16 वास्तविक व्यय	2016–17 बजट अनुमान	2016–17 संशोधित अनुमान	2016–17 वास्तविक	2017–18 बजट अनुमान	2017–18 संशोधित अनुमान	2017–18 वास्तविक	2018–19 बजट अनुमान	2018–19 संशोधित अनुमान	2019–20 बजट अनुमान
कुल बजट	1086.48	721.87	588.55	1538.00	619.00		700	766.3	747.2	903.4	1102.4	922.2
केन्द्रीयांश	814.86	410.32	–	900.00	358.12	उपलब्ध नहीं	548.6	459.8	462	542	739.4	396

स्रोत : बजट पुस्तिका, वित्त विभाग, राजस्थान, संबंधित वर्ष

उपरोक्त तालिका के अनुसार इस वर्ष (2019–20) राज्य में माध्यमिक शिक्षा अभियान हेतु करीब 922 करोड़ रू. का प्रावधान किया है जो गत वर्ष के संशोधित अनुमान की तुलना में लगभग 180 करोड़ रू. कम है। उपरोक्त आंकड़ों से यह भी स्पष्ट होता है कि सरकार माध्यमिक शिक्षा अभियान के लिए आवंटित राशि में से बहुत कम खर्च कर पा रही है, अगर हम 2014–15, 2015–16 एवं 2016–17 के संशोधित अनुमान की राशि देखें तो इन वर्षों के बजट अनुमान से काफ़ी कम है, साथ ही इन वर्षों में वास्तविक व्यय तो और भी कम है।

प्रारंभिक शिक्षा में प्रति बालक एवं प्रति विद्यालय हेतु एक वर्ष का बजट का आंकलनः

तालिका– 8: प्रारंभिक शिक्षा में प्रति बालक एवं प्रति विद्यालय हेतु एक वर्ष का बजट

मद / वर्ष	2014–15	2015–16	2016–17	2017–18	2018–19 संशोधित	2019–20 बजट अनुमान
कुल बजट (राशि करोड़ रु. में)	11519	10517.39	10648.01	10672.46	14258.98	16238.85
कुल नामांकित बच्चे (लाख में)	60.75	63.89	62.84	63.41	63.41*	63.41*
प्रति बालक बजट राशि (राशि रु. में)	18961.25	16461.72	16931.16	16830.9	22487.0	25609.3
कुल विद्यालय (प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक)	79098	80086	77218	69318	69318*	69318*
प्रति विद्यालय (राशि लाख रु. में)	14.56	13.30	15.13	15.4	20.6	23.4

स्रोत : 1. बजट पुस्तिका, वित्त विभाग, राजस्थान, संबंधित वर्ष 2. आर्थिक समिक्षा, राजस्थान सरकार, विभिन्न वर्ष

नोट : * वर्ष 2018–19 एवं 2019–20 के लिये प्रति बालक एवं प्रति विद्यालय बजट की गणना आर्थिक समिक्षा, 2018–19 में दर्शाये गये राज्य में कुल नामांकन एवं विद्यालयों की संख्या के आंकड़ों को आधार मानकर की गयी है।

उपरोक्त तालिका के अनुसार राज्य में वर्ष 2016–17 में प्रति बालक करीब 16931.16 रु. एवं वर्ष 2017–18 में प्रति बालक करीब 16830.9 रु. खर्च किये गये। जबकि संशोधित बजट के अनुसार वर्ष 2018–19 में प्रति बालक करीब 22487.0 रु. एवं वर्ष 2019–20 के बजट अनुमान के अनुसार इस साल प्रति बालक करीब 25609.3 रु आवंटित किये गये हैं।
इसी प्रकार वर्ष 2016–17 में प्रति विद्यालय करीब 15.13 लाख रु. एवं वर्ष 2017–18 में प्रति विद्यालय करीब 15.4 लाख रु. खर्च किये गये। जबकि वर्ष 2018–19 के संशोधित बजट में प्रति विद्यालय करीब 20.6 लाख रु एवं वर्ष 2019–20 में प्रति विद्यालय करीब 23.4 लाख रु आवंटित किये गये हैं।

विद्यालयों को मिलने वाला अनुदानः शिक्षा विभाग द्वारा विद्यालयों में शैक्षणिक गतिविधियों एवं विभिन्न विकास कार्यों हेतु सितम्बर, 2018 से पहले विद्यालयों को कई प्रकार के अनुदान उपलब्ध मिलते थे। इनमें मुख्यरुप से विद्यालय रखरखाव अनुदान (SMG), शिक्षण अधिगम सामग्री अनुदान (TLM Grant), विद्यालय सुविधा अनुदान (SFG), विद्यालय स्वच्छता अनुदान (SSG) आदि हैं। लेकिन शिक्षा विभाग द्वारा सर्व शिक्षा अभियान एवं माध्यमिक शिक्षा अभियान को समायोजित कर हाल ही में लागू किये गये समग्र शिक्षा अभियान के तहत इन सभी अनुदानों को एक करके समग्र विद्यालय अनुदान (Compositc School Grant) का प्रावधान किया गया है।

समग्र विद्यालय अनुदान (Compositc School Grant):
समग्र शिक्षा अभियान के अंतर्गत दिनांक 11 सितम्बर, 2018 से राजकीय प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों की शैक्षिक, सह–शैक्षिक एवं भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति और पुराने उपकरणों के प्रतिस्थापन तथा विद्यालय स्वच्छता कार्य योजना हेतु कम्पोजिट स्कूल ग्रान्ट दिए जाने का प्रावधान किया गया है। यह अनुदान डाइस डाटा के अनुसार सम्बंधित विद्यालय को दिया जाता है।

वित्तीय प्रावधानः शिक्षा विभाग द्वारा सम्बंधित विद्यालयों को छात्रों की संख्या के अनुसार समग्र विद्यालय अनुदान दिए जाने का प्रावधान है जिसका विवरण नीचे तालिका में दर्शाया गया है।

तालिका– 9: विद्यालयों को मिलने वाले समग्र विद्यालय अनुदान की राशि

क्र.सं.	विद्यालयों में छात्रों की संख्या	विद्यालय को अनुदान
1.	1–15	12500 रु.
2.	16–100	25000 रु.
3.	101–250	50000 रु.
4.	251–1000	75000 रु.
5.	1000 से अधिक	100000 रु.

उपरोक्त विश्लेषण से स्पष्ट होता है कि वर्तमान में सरकार राज्य में सकल घरेलू राज्य उत्पाद का मात्र करीब 3 से 3.5 प्रतिशत ही शिक्षा पर खर्च कर रही है। जबकि कोठारी आयोग की सिफारिशों के अनुसार सकल घरेलू उत्पाद का कम से कम 6 प्रतिशत शिक्षा पर व्यय किया जाना चाहिये। राज्य के विद्यालयों में भौतिक एवं मानवीय संसाधनों की कमी है। अतः सरकार को विद्यालयों में मूलभूत सुविधाओं एवं संसाधनों का विकास करना चाहिये।

हालांकि सरकार ने इस साल के बजट (2019–20) में 21600 पदों को भरने की घोषणा की है। इसके अलावा राजकीय विद्यालयों में सर्वपल्ली राधाकृष्णन विद्यालय सुदृढ़ीकरण योजना में चरणबद्ध रूप से 14 हजार से अधिक कक्षा–कक्षों, 23 नये भवनों के निर्माण तथा अन्य मरम्मत कार्य हेतु 1581 करोड़ रु. का प्रावधान किया है। इस वित्तीय वर्ष में 50 नये प्राथमिक विद्यालय खोले जाने तथा 60 प्राथमिक विद्यालयों को उच्च प्राथमिक में, 100 उच्च प्राथमिक को माध्यमिक विद्यालय में एवं 500 माध्यमिक विद्यालयों को उच्च माध्यमिक विद्यालयों में क्रमोन्नत किये जाने की भी घोषणा की है। साथ ही राज्य की नई शिक्षा नीति लाने की घोषणा भी की गयी है। अब देखना यह होगा कि सरकार अपनी इन बजट घोषणाओं को किस हद तक पूरा कर पाती है। इसके अलावा यह भी महत्त्वपूर्ण है कि विद्यालयों की शैक्षणिक गतिविधियों, बजट खर्च एवं इनको मिलने वाले विभिन्न अनुदानों की निगरानी एवं इनके उपयोग में समुदाय की भागीदारी सुनिश्चित की जानी चाहिये।

राजस्थान सरकार का स्वास्थ्य हेतु बजट

स्वास्थ्य मानव विकास की दृष्टि से एक महत्त्वपूर्ण सूचक है एवं समाज के सामजिक एवं आर्थिक विकास से प्रत्यक्ष एवं परोक्ष रुप से जुड़ा हुआ है। लेकिन देश में स्वास्थ्य के हालात बेहद कमजोर हैं साथ ही बड़ी संख्या में महिलायें एवं बच्चे एनिमिया एवं कुपोषण से ग्रसित हैं।

राजस्थान की बात की जाये तो एनएफएचएस–4 (वर्ष 2015–16) के अनुसार राज्य में करीब 46.8 प्रतिशत महिलायें एनिमिया से ग्रसित हैं वहीं करीब 37 प्रतिशत बच्चे कुपोषण से ग्रसित हैं। पोषण के अनुसार राजस्थान में 5 वर्ष से कम आयु के करीब 39.1 प्रतिशत बच्चे औसत से कम लम्बाई (stunted) के हैं वहीं 6–59 महीने के बच्चों में से लगभग 60.3 प्रतिशत बच्चे एनिमिया के शिकार हैं तथा 5 साल से कम उम्र के बच्चों में लगभग 36.7 प्रतिशत बच्चों का वज़न जन्म के समय प्रमाणित वज़न से कम पाया गया है। इसके अलावा रिपोर्ट के अनुसार देश में 15–49 साल की महिलाओं में से लगभग 46.8 प्रतिशत महिलाऐं एनिमिया से ग्रसित हैं। राजस्थान की 2016–17 की आर्थिक समीक्षा के अनुसार राज्य में शिशु मृत्यु दर 43 (प्रति हजार जीवित जन्म) है जो राष्ट्रीय औसत (37) से 6 अंक अधिक है। इसी प्रकार मातृ मृत्यु दर 244 (प्रति लाख जन्म) है जो राष्ट्रीय औसत (167) से 77 अंक अधिक है। अतः इससे स्पष्ट होता है कि राज्य में स्वास्थ्य की स्थिति बेहद खराब है। हालांकि स्वास्थ्य में सुधार हेतु केन्द्र एवं राज्य सरकार द्वारा विभिन्न योजनाओं एवं कार्यक्रमों के माध्यम से प्रयास किये जा रहे हैं लेकिन इन योजनाओं एवं कार्यक्रमों के क्रियांवयन में बजट की महत्त्वपूर्ण भूमिका रहती है।

चिकित्सा, लोक स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण

वित्तीय वर्ष 2018–19 में राजस्थान का कुल बजट (उदय बिना) 197274.66 करोड़ रूपये है जिसमें से लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण के लिए कुल 12813.48 करोड़ रूपये आवंटित किये गए हैं, जो कुल राज्य बजट का 6.5 प्रतिशत है और पिछले वर्ष के संशोधित अनुमान से केवल 0.35 प्रतिशत ज्यादा है।

तालिकाः 1– स्वास्थ्य और परिवार कल्याण का बजट विवरण (राशि करोड़ रू में)

		चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य			परिवार कल्याण			महायोग
		राजस्व	पूंजीगत	योग	राजस्व	पूंजीगत	योग	
2014–15 बजट अनुमान	आयोजना भिन्न	3101.65	0	**3101.65**	28.15	,,	**28.15**	**3129.8**
	आयोजना	1548.57	1073.78	**2622.35**	2951.25	,,	**2951.25**	**5573.6**
	योग	**4650.22**	**1073.78**	**5724**	2979.39	,,	**2979.39**	**8703.39**
2014–15 वास्तविक व्यय	आयोजना भिन्न	2982.83	0	**2982.83**	22.8	,,	**22.8**	**3005.63**
	आयोजना	971.15	484.32	**1455.47**	1996.6	,,	**1996.6**	**3452.07**
	योग	**3953.98**	**484.32**	**4438.3**	2019.4	,,	**2019.4**	**6457.7**
2015–16 बजट अनुमान	आयोजना भिन्न	3325.23	0	**3325.23**	27.32	,,	**27.32**	**3352.55**
	आयोजना	1995.44	1068.69	**3064.13**	2999.59	,,	**2999.59**	**6063.72**
	योग	**5320.67**	**1068.69**	**6389.36**	3026.91	,,	**3026.91**	**9416.27**
2015–16 वास्तविक व्यय	आयोजना भिन्न	3172.31	0	**3172.31**	23.4	,,	**23.4**	**3195.71**
	आयोजना	1567.39	575.58	**2142.97**	2419.12	,,	**2419.12**	**4562.09**
	योग	**4739.7**	**575.58**	**5315.28**	2442.53	,,	**2442.53**	**7757.81**
2016–17 बजट अनुमान	आयोजना भिन्न	3464.3	26.94	**3491.24**	0	,,	**0**	**3491.24**
	आयोजना	2236.4	2547.95	**4784.35**	1261.78	,,	**1261.78**	**6046.13**
	योग	**5700.7**	**2574.89**	**8275.59**	1261.78	,,	**1261.78**	**9537.37**
2016–17 संशोधित	आयोजना भिन्न	3573.02	0	**3573.02**	27.88	,,	**27.88**	**3600.9**
	आयोजना	2059.04	645.22	**2704.26**	2268.31	,,	**2268.31**	**4972.57**

अनुमान	योग	**5632.06**	**645.22**	**6277.28**	2296.19	,,	**2296.19**	**8573.47**
2016–17	आयोजना भिन्न	3492.33	..	**3492.33**	24.96	,,	**24.96**	**3517.29**
वास्तविक	आयोजना	1961.35	515.34	**2476.69**	2259.20	,,	**2259.20**	**4735.89**
व्यय	योग	**5453.67**	**515.34**	**6634.84**	2284.16	,,	**2284.16**	**8253.18**
2017–18	केन्द्र निधि	5874.12	760.72	**6634.84**	848.7	,,	**848.7**	**7483.54**
बजट	राज्य निधि	193.95	569.9	**763.85**	1503.19	,,	**1503.19**	**2267.04**
अनुमान	योग	**6068.07**	**1330.62**	**7398.69**	2351.88	,,	**2351.88**	**9750.57**
2017–18	राज्य निधि	7001.84	668.53	**7670.37**	1285.93	,,	**1285.93**	**8956.30**
संशोधित	केन्द्र निधि	71.11	243.04	**314.15**	1530.35	,,	**1530.35**	**1844.50**
अनुमान	योग	**7072.95**	**911.57**	**7984.52**	2816.28	,,	**2816.28**	**10800.80**
2017–18	राज्य निधि	6640.94	466.69	**7107.62**	1231.41	,,	**1231.41**	**8339.03**
वास्तविक	केन्द्र निधि	56.03	190.85	**246.88**	1413.75	,,	**1413.66**	**1660.54**
व्यय	योग	**6696.97**	**657.54**	**7354.50**	2645.16	,,	**2645.16**	**9999.66**
2018–19	राज्य निधि	9009.18	741.93	**9751.11**	1036.46	,,	**1036.46**	**10787.57**
बजट	केन्द्र निधि	40.09	232.61	**272.70**	1753.21	,,	**1753.21**	**2025.91**
अनुमान	योग	**9049.28**	**974.54**	**10023.82**	2789.66	,,	**2789.66**	**12813.48**
2018–19	राज्य निधि	8704.18	493.22	**9197.39**	1474.94	,,	**1474.94**	**10672.33**
संशोधित	केन्द्र निधि	25.65	88.27	**113.92**	1377.16	,,	**1377.16**	**1491.08**
अनुमान	योग	**8729.82**	**581.49**	**9311.31**	**2852.10**	,,	**2852.10**	**12163.41**
2019–20	राज्य निधि	8988.54	612.95	**9601.49**	1377.64	,,	**1377.64**	**10979.13**
बजट	केन्द्र निधि	77.68	176.81	**254.49**	1804.98	,,	**1804.98**	**2059.47**
अनुमान	योग	**9066.22**	**789.75**	**9855.97**	**3182.62**	,,	**3182.62**	**13038.60**

स्रोतः राज्य बजट पुस्तिका राजस्थान सरकार

उपरोक्त तालिका स्वास्थ्य और परिवार कल्याण में की गई कुल आवंटित राशि को दर्शाता है। तालिका द्वारा देखा जा सकता है कि वर्तमान वर्ष में सरकार द्वारा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण के लिए 13038.60 करोड़ का बजट आवंटित किया गया है। वित्तीय वर्ष 2018–19 के बजट अनुमान में 12813.48 करोड़ रूपये आवंटित किये गए थे। वर्ष 2019–20 में राज्य सरकार की कुल अनुमानित बजट राशि में वर्ष 2016–17 और 2017–18 की अनुमानित बजट राशि की तुलना में काफी बदलाव किया गया है।

राज्य बजट में चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण का हिस्सा

नीचे दी गयी तालिका–2 राज्य बजट में चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण का हिस्सा दर्शाती है:

तालिकाः 2– राज्य बजट में चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण का हिस्सा (राशि करोड़ रू. में)

वर्ष	मद	कुल राज्य बजट (उदय बिना)	चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण पर कुल आवंटन	प्रतिशत
2014–15	बजट अनुमान	131426.9	8703.359	6.62
	वास्तविक व्यय	116605.5	6457.71	5.54
2015–16	बजट अनुमान	137713.38	9416.27	6.84
	वास्तविक व्यय	129736.02	7757.8	5.98
2016–17	बजट अनुमान	151127.7	9537.39	6.31
	संशोधित अनुमान	148506.69	8573.5	5.77
	वास्तविक व्यय	139727.68	8253.18	5.91
2017–18	बजट अनुमान	166753.9	9750.6	5.85

	संशोधित अनुमान	175615.12	10800.80	6.15
	वास्तविक व्यय	164472.47	9999.66	6.07
2018–19	बजट अनुमान	197274.66	12813.48	6.50
	संशोधित अनुमान	197258.89	12163.41	6.16
2019–20	बजट अनुमान	218222.05	13038.60	5.97

स्रोतः राज्य बजट पुस्तिका राजस्थान सरकार

उपरोक्त तालिका के अनुसार वर्ष 2018–19 में राज्य के कुल अनुमानित बजट का 6.50 प्रतिशत चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण के लिए आवंटित किया गया जो वर्ष 2019–20 के परिवर्तित बजट में घटाकर 5.97 प्रतिशत कर दिया गया है। वर्ष 2016–17 के बजट अनुमान की तुलना में वास्तविक व्यय घटकर 5.91 प्रतिशत रह गया। इसके अलावा वर्तमान वर्ष 2019–20 में राज्य बजट में चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण का हिस्सा पिछले वर्ष 2018–19 बजट अनुमान की तुलना में लगभग 8.15 प्रतिशत कम हुआ है।

शहरी एवं ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाओं पर कुल व्यय

नीचे दी गयी तालिका–3 राज्य में शहरी एवं ग्रामीण स्वास्थ्य पर कुल खर्च को दर्शाती हैः

तालिकाः 3– शहरी एवं ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाओं पर कुल व्यय (राशि करोड़ रू. में)

वर्ष	**मद**	**शहरी स्वास्थ्य सेवाएं – एलोपैथी**	**शहरी स्वास्थ्य सेवाएं – अन्य**	**शहरी स्वास्थ्य सेवाएं – पूंजीगत**	**कुल शहरी**	**ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाएं – एलोपैथी**	**ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाएं – अन्य**	**ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाएं – पूंजीगत**	**कुल ग्रामिण**
2014–15	बजट अनुमान	1504.90	202.34	196.32	**1903.54**	1054.19	386.53	220.97	**1661.69**
2014–15	वास्तविक व्यय	1390.43	174.09	157.55	**1722.08**	928.19	371.32	118.39	**1417.90**
2015–16	बजट अनुमान	1571.37	203.53	113.59	**1888.49**	1164.69	438.75	306.8	**1910.24**
2015–16	वास्तविक व्यय	1480.00	194.96	23.04	**1698.00**	1026.05	443.60	130.49	**1600.14**
2016–17	बजट अनुमान	1649.86	227.15	101.17	**1978.17**	1215.66	462.97	313.36	**1991.99**
2016–17	संशोधित अनुमान	1684.81	225.93	32.93	**1943.67**	1291.85	475.97	247.85	**2015.67**
2016–17	वास्तविक व्यय	1649.30	212.37	25.22	**1886.89**	1261.05	464.63	204.86	**1930.54**
2017–18	बजट अनुमान	1790.77	249.89	123.17	**2163.83**	1455.79	500.72	241.35	**2197.86**
2017–18	संशोधित अनुमान	1922.11	254.75	67.20	**2244.06**	1491.45	581.93	196.24	**2269.61**
2017–18	वास्तविक व्यय	1798.10	242.22	47.76	**2088.08**	1365.86	556.63	100.21	**2022.69**
2018–19	बजट अनुमान	2335.23	312.07	121.39	**2768.69**	1871.18	656.61	207.11	**2734.90**
2018–19	संशोधित अनुमान	2469.18	314.00	73.40	**2856.58**	1925.72	662.04	191.48	**2779.24**
2019–20*	बजट अनुमान	2666.61	357.21	97.40	**3121.21**	2108.62	719.15	177.82	**3005.59**

स्रोतः राज्य बजट पुस्तिका राजस्थान सरकार, *परिवर्तित बजट 2019–20

वर्ष 2017–18 में शहरी स्वास्थ्य पर आंवटित कुल राजस्व एवं पूंजीगत बजट 2163.83 करोड़ रूपये था जो 2017–18 के वास्तविक व्यय में घटकर 2088.08 करोड़ रूपये हो गया। 2018–19 के बजट अनुमान की तुलना में 2019–20 के बजट अनुमान में लगभग 352.52 करोड़ रूपये की बढ़ोत्तरी की गयी है। इसके अलावा 2018–19 के बजट अनुमान में ग्रामीण स्वास्थ्य पर किये जाना वाला कुल राजस्व एवं पूंजीगत व्यय 2734.90 करोड़ रूपये था जो संशोधित बजट में बढ़कर 2779.24 करोड़ रूपये हो गया। इसके साथ ही वित्तीय वर्ष 2019–20 में ग्रामीण स्वास्थ्य सुविधाओं पर कुल बजट अनुमान में 2734.90 करोड़ रूपये आवंटित किये गए हैं जो गत वर्ष की तुलना में 270.69 करोड़ रूपये ज्यादा है।

राजस्थान की लगभग 75 प्रतिशत जनता ग्रामीण क्षेत्रों में रहती है और ग्रामीण क्षेत्र में कम बजट खर्च होने व कम स्वास्थ्य सुविधायें उपलब्ध होने के कारण लोग स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए ग्रामीण क्षेत्रों से शहरी क्षेत्रों की ओर आते हैं जो उनके स्वास्थ्य पर हो रहे खर्च को और बढ़ा देता है।

चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण की मुख्य योजनाओं के बजटीय प्रावधान

नीचे दी गई तालिका–4 चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण के अंतर्गत आने वाली मुख्य योजनाओं के बजटीय प्रावधान को दर्शाती है।

तालिकाः 4– मुख्य योजनाओं के बजटीय प्रावधान (राशि करोड़ रू. में)

वर्ष	आयोजना	राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन		मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना	मुख्यमंत्री निःशुल्क जांच योजना	भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना
		शहरी	ग्रामीण			
2014–15	बजट अनुमान	290.13	1830	299.56	131.52	–
	वास्तविक व्यय	75.55	1129.08	245.04	85.44	–
2015–16	बजट अनुमान	290.13	1834	367.42	131.22	213.76
	वास्तविक व्यय	81.16	1643.04	363.46	111.83	213.45
2016–17	बजट अनुमान	117.50	1622.61	360.36	129.46	431.00
	संशोधित अनुमान	70.5	1415.49	300.36	117.06	431
	वास्तविक व्यय	26.92	1551.06	–	138.32	410.87
2017–18	बजट अनुमान	90.48	1525.21	415.99	156.54	400
	संशोधित अनुमान	42.95	2158.62	560.02	175.51	866.00
	वास्तविक व्यय	0	2092.81	659.49	160.36	760.38
2018–19	बजट अनुमान	121.53	1749.006	557.09	185.39	1491.00
	संशोधित अनुमान	50.40	1856.06	456.29	203.91	1200
2019–20	बजट अनुमान	142.17	1959.68	556.43	222.16	631

स्त्रोतः राज्य बजट पुस्तिका राजस्थान सरकार

- **राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशनः** वित्तीय वर्ष 2015–16 एवं 2016–17 में राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन पर अनुमानित बजट राशि 290.13 करोड़ रूपये और 117.51 करोड़ रूपये थी। 2015–16 के वास्तविक व्यय में यह घट कर सिर्फ 81.16 करोड़ रूपये और 2016–17 में वास्तविक व्यय सिर्फ 26.92 करोड़ रूपये हुआ। इससे सरकार की बजट राशि उपयोग न कर पाने की अक्षमता दिखाई देती है। 2017–18 की बजट अनुमान राशि में 2016–17 की बजट अनुमान राशि की तुलना में लगभग 31.05 करोड़ रूपये की बढ़ोत्तरी की गयी थी व 2019–20 के बजट में उसे और बढ़ाया गया है।
- **राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशनः** राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन में 2015–16 के बजट अनुमान में कुल 1834 करोड़ रूपये और 2016–17 के बजट अनुमान में कुल 1622.61 करोड़ रूपये आवंटित किये गए, जो 2015–16 के वास्तविक व्यय में घट कर 1643.04 करोड़ रूपये और 2016–17 वास्तविक व्यय में घटकर 1551.06 करोड़ रूपये हो गया। इसके अलावा 2017–18 के संशोधित बजट में 2017–18 के बजट अनुमान की तुलना में लगभग 523.41 की बढ़ोत्तरी की गयी गयी है। वर्ष 2019–20 में इस योजना का बजट करीब 210.67 बढ़ाकर 1959.68 करोड़ कर दिया गया है।
- **मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजनाः** वित्तीय वर्ष 2015–16 में अनुमानित बजट राशि में 367.42 करोड़ रुपये आवंटित किए गए जिसमें से 363.46 करोड़ रुपये वास्तविक तौर पर खर्च हो

पाये। वित्तीय वर्ष 2017–18 की मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना की अनुमानित बजट राशि में कुल 415.99 करोड़ रूपये आवंटित किये गए जो संशोधित अनुमान में घटकर 560.02 करोड़ रूपये रह गये। वर्तमान वर्ष 2019–20 में सरकार द्वारा इस योजना में 104 प्रकार की नई दवाइयां जोड़ी गई है, जबकि इसके विपरीत वर्तमान वर्ष 2019–20 में इस योजना में 0.66 करोड़ रुपये की कमी की गई है, प्रदेश में निःशुल्क दवा योजना की जरूरत और लोकप्रियता को देखते हुए इस योजना के बजट आवंटन में बढ़ोत्तरी की आवश्यकता है, जबकि सरकार द्वारा योजना के बजट आवंटन में कमी की गई है।

- **मुख्यमंत्री निःशुल्क जांच योजनाः** मुख्यमंत्री निःशुल्क जांच योजना में वित्तीय वर्ष 2015–16 में अनुमानित बजट राशि में 131.22 करोड़ रुपये आवंटित किए गए जिसमें से सिर्फ 111.83 करोड़ रुपये वास्तविक तौर पर खर्च हो पाये। वित्तीय वर्ष 2016–17 के कुल बजट अनुमान 129.46 करोड़ रूपये थी जिसमें से सिर्फ 138.32 करोड़ रुपये वास्तविक तौर पर खर्च हो पाये। 2019–20 में इस योजना की राशि में 36.77 करोड़ रूपये की बढ़ोत्तरी हुई है।
- **भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजनाः** वर्ष 2018–19 में भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना का बजट अनुमान 1491.00 करोड़ रुपये किया गया था जबकि वर्तमान वर्ष 2019–20 में इस योजना में 860 करोड़ रुपये की कमी कर 631 करोड़ रुपये कर दिया गया है।

राजस्थान सरकार द्वारा किये गये बजट आंवटन को देखकर यह आंका जा सकता है कि यह आवंटन राज्य की स्वास्थ्य सुविधाओं को सुधारने के लिये काफी नहीं है।

राज्य में महिलाओं हेतु बजट आवंटन का विवरण

वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य में 3.2 करोड़ महिलाएं हैं। जिनमें 2.4 करोड महिलाएँ (75 प्रतिशत) ग्रामीण क्षेत्रों में तथा 81 लाख महिलाएँ (25 प्रतिशत) शहरी क्षेत्रों में निवास कर रही हैं। राजस्थान का लिंगानुपात वर्ष 2001 की तुलना में 922 से बढ़ कर 927 महिलाएँ प्रति 1000 पुरूष हो गया है परन्तु यह देश के लिंगानुपात की तुलना में कम है। मातृ–मृत्यु दर, कुपोषण, खून की कमी, बीमारी, बाल विवाह, लिंग अनुपात में कमी, महिलाओं की सामाजिक व आर्थिक स्थिति आदि महिलाओं से जुड़े ऐसे मुद्दे हैं जिन पर ध्यान देने तथा शीघ्र सुधार कि आवश्यकता है, परन्तु राज्य के बजट प्रावधानों का विश्लेषण करने पर स्पष्ट होता है की राज्य में महिलाओं के कल्याण के लिए राज्य सरकार द्वारा किया जाने वाला व्यय बहुत ही कम है और महिलाओं के विकास के प्रति सरकार का ध्यान अपर्याप्त है।

राजस्थान में महिला विकास एवं सशक्तिकरण के लिये महिला एवं बाल विकास विभाग प्रमुख एजेंसी है जिसके द्वारा कई कार्यक्रम चलाये जा रहे हैं जैसे मुख्यमंत्री सात सूत्रीय महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम, महिला स्वयं सहायता समूह कार्यक्रम, महिला विकास कार्यक्रम, स्वावलम्बन योजना, सामुहिक विवाह हेतु अनुदान, राज्य महिला आयोग, भामाशाह योजना, जेण्डर संवेदनशील बजटिंग, किशोरी शक्ति योजना, चिराली योजना, वन–स्टॉप सेंटर आदि। इन कार्यक्रमों के लिये बजट का प्रावधान मुख्य शीर्ष "सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण" में रखा जाता है।

वर्ष 2019–20 के लिये पारित राज्य के कुल बजट 218222.05 करोड़ रूपए में से महिला एवं बाल विकास के लिये 2945.61 करोड़ रूपये प्रस्तावित किये गये हैं जो कि राज्य के पूर्ण बजट का सिर्फ 1.35 प्रतिशत ही है। पिछले वर्ष के संशोधित बजट की तुलना में यह करीब 307.99 करोड़ रू (11.68 प्रतिशत) ज्यादा है। वर्ष 2018–19 के लिये राज्य का कुल बजट 197274.66 करोड़ रूपए रखा गया था जिसमें महिलाओं के कल्याण के लिये कुल 2325.26 करोड़ रूपए आवंटित किए गए जो राज्य के कुल बजट का केवल 1.17 प्रतिशत था। वर्ष 2017–18 में महिलाओं के कल्याण के लिय आवंटित राशि राज्य के कुल बजट का 1.13 प्रतिशत थी, 2017–18 के बजट में राज्य के कुल खर्च का 1.05 प्रतिशत भाग महिला कल्याण के लिये खर्च किया गया।

नीचे दी गई सारणी में महिलाओं के कल्याण के लिये किये जाने वाले खर्च को दर्शाया गया है।

सारणी 1: राज्य में महिला एवं बाल विकास विभाग के लिये बजट (राशि करोड़ रू में)

मद	2017–18 बजट अनुमान			2017–18 वास्तविक व्यय			2018–19 बजट अनुमान			2018–19 संशोधित अनुमान			2019–20 बजट अनुमान		
	राज्य निधी	केन्द्रीय सहायता	योग	राज्य निधी	केन्द्रीय सहायता	योग	राज्य निधी	केन्द्रीय सहायता	योग	राज्य निधी	केन्द्रीय सहायता	योग	राज्य निधी	केन्द्रीय सहायता	योग
राजस्व व्यय															
2235–02–103 महिला कल्याण	28.57	6.19	34.76	16.05	0.98	17.48	24.25	7.94	32.18	19.67	4.95	24.62	24.21	4.81	29.02
2235 –02–196 जिला स्तर की पंचायतों को सहायता –(02) महिला अधिकारिता के जिला स्तरीय कार्यालयों हेतु	240.28	9.51	249.8	202.81	2.42	205.22	243.61	4.25	247.87	344.86	7.20	352.06	363.86	4.69	368.54
2236 पोषण	858.47	645.06	1503.53	836.46	641.41	1477.87	1196.76	791.97	1988.74	1245.33	992.54	2237.87	1455.41	1052.47	2507.88
राजस्व व्यय का योग	**1127.32**	**660.76**	**1788.09**	**1055.32**	**644.81**	**1700.13**	**1464.62**	**804.16**	**2268.78**	**1609.86**	**1004.69**	**2614.55**	**1843.48**	**1061.97**	**2905.45**
पूँजीगत व्यय															
4235 –103 महिला कल्याण	1.63	1.7	3.33	0.4586	0.0100	0.4686	4.12	0.0003	4.12	2.12	0.0003	2.1203	4.8506	0.0003	4.8509
4235 –789 अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योंजना		0.3	0.3	0	0	0	0	0.0002	0.0002	0	0.0002	0.0002	0	0.0002	0.0002

4235 –796 जनजातिय क्षेत्र उपयोजना	0	0.46	0.46	0	0.46	0.46		0.0002	0.0002	0	0.0002	0.0002	0	0.0002	0.0002
4236 पोषण	44.92	59.88	104.8	16.56	3.31	19.87	23.94	28.42	52.36	5.25	15.70	20.95	14.38	20.92	35.31
पूँजीगत व्यय का योग	**46.55**	**62.34**	**108.89**	**17.01**	**3.78**	**20.79**	**28.06**	**28.42**	**56.4804**	**7.37**	**15.70**	**23.07**	**19.2306**	**20.9207**	**40.1613**
महायोग	**1173.87**	**723.1**	**1896.98**	**1072.33**	**648.59**	**1720.92**	**1492.68**	**832.58**	**2325.26**	**1617.23**	**1020.39**	**2637.62**	**1862.71**	**1082.89**	**2945.61**

स्रोत – बजट पुस्तकों के आधार पर

ऊपर दी गयी सारणी के अनुसार वर्ष 2019–20 में महिला कल्याण के लिये आवंटित राशि को पिछले वर्ष के बजट अनुमान से लगभग 3.16 करोड़ रूपए कम किया गया है लेकिन पिछले वर्ष के संशोधित अनुमान में यह लगभग 7.97 करोड़ रूपए घटाया गया है। क्योंकि इस मद में हर साल वास्तविक बजट संशोधित अनुमान से कम तथा संशोधित अनुमान बजट अनुमान से कम होता आ रहा है पिछले वर्ष के बजट अनुमान की तुलना में महिला अधिकारिता के जिला स्तरीय कार्यालयों के बजट को वर्तमान वर्ष 2019–20 के बजट अनुमान में 120.67 करोड़ रूपए बढाया गया है। सारणी के अनुसार सबसे ज्यादा बढ़ोत्तरी पोषण के लिये हुई है जो कि पिछले वर्ष के बजट अनुमान की तुलना में 519.14 करोड़ रूपए बढ़ाया गया है।

इस वर्ष चिराली योजना के लिए प्रावधान 4.6 करोड़ रूपए से घटाकर 1.86 करोड़ रूपए कर दिया गया है। राजस्थान में 39 महिला सलाह सुरक्षा केन्द्र हैं परन्तु हर वर्ष इनके लिए 1.5 करोड़ रूपए से भी कम (प्रति केंद्र) का बजट रखा जाता है। 2005 में पारित हुए घरेलु हिंसा से बचाव अधिनियम के लिए अभी तक कोई बजट नहीं रखा गया है और ना ही इस अधिनियम के तहत कोई सुरक्षा अधिकारी नियुक्त किये गये हैं। राज्य में महिलाओं के खिलाफ बढ़ रहे अपराध को देखते हुए महिला सुरक्षा के लिये बजट का इतना कम होना दर्शाता है कि महिला सुरक्षा का मुद्दा सरकार की प्रथमिकता में नही है जो काफी चिंताजनक बात है।

आंगनबाड़ी कार्यकताओं को 6000 रूपए के स्थान पर 7500 रूपए, मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को 4500 रूपए के स्थान पर 5750 रूपए, सहायिका को 3500 के स्थान पर 4250 रूपए, प्रतिमाह का मानदेय देने की घोषणा की है।

वर्तमान वर्ष की बजट घोषणा में राज्य की बालिकाओं को आत्मरक्षा के लिए तैयार करने हेतु कक्षा 6 से 12 तक के समस्त राजकीय स्कूलों में शारीरिक आत्मरक्षा प्रशिक्षण अनिवार्य किया गया है।

राज्य में महिलाओं के बजट के लिये कुछ माँगें:

- राज्य में जेंडर बजटिंग का व्यवस्थित क्रियांवयन नहीं हो रहा है अतः इसमें आवश्यक सुधार किये जायें।
- बाल विवाह एवं घरेलू हिंसा से पीड़ित महिलाओं के पुनर्वास हेतु सरकार एक नीति बनाकर लागू करे।
- वैश्यावृति छोड़कर इस कार्य से बाहर आने वाली महिलाओं के लिये व्यवस्थित पुनर्वास की व्यवस्था की जाये तथा इनके बच्चों हेतु आवासीय विद्यालयों की व्यवस्था की जाये।
- घरेलू हिंसा कानून के अंतर्गत संरक्षण अधिकारी लगाये जायें।
- कृषि एवं संम्बन्धित क्षेत्रों से जुड़ी महिलाओं के कल्याण के लिये बजट में प्रावधान रखा जाये।

राजस्थान में बच्चों की स्थिति एवं बजट

भारत में करीब 47.2 करोड़ आबादी 0 से 18 वर्ष तक की आयु वर्ग के बच्चों की है, जो देश की कुल आबादी का करीब 39 प्रतिशत है। लेकिन देश में सामाजिक एवं आर्थिक पैमाने पर बच्चों की स्थिति काफी खराब है, चाहे वो अधिकार एवं विकास की दृष्टि से हो या सुरक्षा एवं संरक्षण के लिहाज से। हालांकि बच्चों के अधिकारों के संरक्षण हेतु 1989 के संयुक्त राष्ट्र बाल अधिकार संधिपत्र पर हस्ताक्षर करने वाले विश्व के करीब 193 देशों में भारत भी शामिल है। लेकिन देश में आज भी एक तरफ बड़े पैमाने पर बच्चे बाल मजदूरी, बच्चों की तस्करी एवं विभिन्न प्रकार के शोषण के शिकार हैं और दूसरी ओर बड़ी संख्या में बच्चे कुपोषण एवं खराब स्वास्थ्य से ग्रसित हैं। भारत सरकार ने वर्ष 2013 में बच्चों के अधिकारों एवं संरक्षण को सुनिश्चित करने हेतु नई "राष्ट्रीय बाल नीति 2013" अपनाई। हालांकि यह नीति बच्चों को राष्ट्रीय संपदा मानकर इनके अधिकारों पर ज़ोर देती है लेकिन देश में केन्द्रीय एवं राज्य बजट का आंकलन किया जाये तो इनके विकास एवं संरक्षण हेतु पर्याप्त आवंटन नहीं किया जाता है।

राजस्थान में भी करीब 2.99 करोड़ जनसंख्या (जनगणना 2011) 18 वर्ष से कम आयु वर्ग की है जो राज्य की कुल आबादी का करीब 43 प्रतिशत है। वहीं अगर 0–6 आयुवर्ग के बच्चों की बात की जाये तो 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य की कुल आबादी में करीब 15.5 प्रतिशत इस आयु वर्ग की है। राज्य में बच्चों की स्थिति काफी कमज़ोर है एवं राजस्थान की बालिका नीति–2013 के अनुसार राज्य में करीब 12.62 लाख (जनगणना 2001) बाल श्रमिक हैं जिसमें भी करीब 7 लाख बालिकाएं हैं। राज्य में करीब 22 प्रतिशत लड़कियों की शादी वैधानिक उम्र से पूर्व हो जाती है। इसी प्रकार राज्य में बच्चों के स्वास्थ्य एवं पोषण की स्थितियां भी बेहद खराब है एवं अधिकांश बच्चे खराब स्वास्थ्य से गंभीर रूप से पीड़ित हैं। वर्ष 2018–19 की आर्थिक समीक्षा (राजस्थान) के अनुसार राज्य में शिशु मृत्यु दर भी 38 (1000 जीवित जन्मों पर) है जो राष्ट्रीय औसत 33 (1000 जीवित जन्मों) से अधिक है।

राज्य में बच्चों को केन्द्रीत करते हुये केन्द्र एवं राज्य सरकार द्वारा विभिन्न विभागों के माध्यम से कार्यक्रम एवं योजनाएं संचालित हैं जो मुख्य रुप से बच्चों की शिक्षा, संरक्षण, स्वास्थ्य, बाल विकास एवं पोषण से संबंधित हैं। प्रस्तुत लेख में राज्य में बच्चों की स्थिति एवं बजट का विवरण प्रस्तुत किया गया है।

राज्य में बाल केन्द्रीत बजट एवं व्यय : राज्य में बाल केन्द्रीत बजट एवं व्यय का आंकलन करने के लिये विभिन्न विभागों में बाल केन्द्रीत योजनाओं एवं कार्यक्रमों के बजट को प्राक्कलित किया गया है। इसको मुख्य रुप से चार क्षेत्रों शिक्षा, बाल संरक्षण, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, बाल विकास एवं पोषण में विभक्त किया गया है। राज्य में मोटे तौर पर बाल केन्द्रीत कार्यक्रमों पर कुल बजट की तकरीबन 18 से 20 प्रतिशत राशि व्यय की जाती है एवं विभिन्न वर्षों में इसमें उतार चढ़ाव भी देखा जा सकता है। राज्य में बाल केन्द्रीत बजट एवं व्यय का विवरण निम्न सारणी में प्रस्तुत किया गया है।

सारणी 1: राज्य में बाल केन्द्रीत बजट एवं व्यय का विवरण (राशि करोड़ रू. में)

मद / वर्ष	2017–18 बजट अनुमान	2017–18 संशोधित अनुमान	2017–18 वास्तविक व्यय	2018–19 बजट अनुमान	2018–19 संशोधित अनुमान	2019–20 बजट अनुमान
शिक्षा	25550.98	26597.80	25366.34	32118.71	33744.09	37148.51
बाल संरक्षण	201.33	215.91	211.00	233.85	231.31	253.3
स्वास्थ्य एवं परिवार	2353.53	2819.88	2648.42	2792.16	2859.8	3188.47

कल्याण						
विकास एवं पोषण	2298.26	2337.44	2181.89	3046.36	3426.5	3973.33
कुल बाल केन्द्रीत बजट	30404.10	31971.03	30407.64	38191.08	40261.7	44563.58
कुल राज्य बजट (उदय के अलावा)	166753.90	175615.12	164472.47	197274.66	197258.9	218222.05
राज्य बजट में बाल बजट का प्रतिशत	18.23	18.20	18.49	19.35	20.41	20.42

स्रोतः बजट पुस्तिका, वित्त विभाग, राजस्थान सरकार, विभिन्न वर्ष

उपरोक्त सारणी द्वारा ये देखा जा सकता है कि प्रत्येक वर्ष राज्य के कुल बजट का तकरीबन 19 से 20 प्रतिशत भाग बच्चों के विकास हेतु आवंटित किया जाता है। इस वर्ष 2019–20 हेतु पेश किये गये बजट में कुल बाल केन्द्रीत बजट करीब 44563.6 करोड़ रू. है जो राज्य के कुल बजट का करीब 20.4 प्रतिशत है। राज्य में बाल केन्द्रीत बजट का क्षेत्रवार आंकलन किया जाये तो वर्ष 2018–19 के संशोधित बजट की तुलना में 2019–20 में बाल शिक्षा हेतु कुल आवंटित बजट में करीब 10 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है। जबकि बाल संरक्षण के बजट में करीब 9.5 प्रतिशत, विकास एवं पोषण में 15.9 प्रतिशत और स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण के बजट में 11.5 प्रतिशत की बढ़ोतरी की गयी है। इस साल (2019–20) के बजट अनुमान के अनुसार कुल राज्य बजट में बाल बजट का प्रतिशत गत साल 2018–19 के संशोधित अनुमान के मुकाबले करीब 10.7 प्रतिशत अधिक है। लेकिन सारणी द्वारा यह भी देखा जा सकता है कि हर वर्ष वास्तविक खर्च, अनुमानित एवं संशोधित बजट की मुकाबले काफी कम रहता है, इससे यह कहा जा सकता है कि सरकार आवंटित बजट को पूर्ण रूप से खर्च नहीं कर पा रही है।

बाल केन्द्रीत बजट का क्षेत्रवार विश्लेषण : जैसा कि पहले यह उल्लेख किया जा चुका है कि बाल बजट का आंकलन करने के लिये राज्य में बाल केन्द्रीत योजनाओं एवं कार्यक्रमों को चार क्षेत्रों में बांटा गया है। राज्य में बाल बजट का क्षेत्रवार विश्लेषण किया जाये तो सर्वाधिक आवंटन एवं व्यय (करीब 83 प्रतिशत) शिक्षा पर किया जाता है। जबकि स्वास्थ (परिवार कल्याण सहित) पर 5 से 7 प्रतिशत तथा शेष बाल विकास एवं पोषण पर आवंटन किया जाता है। यदि स्वास्थ्य क्षेत्र के बजट में से परिवार कल्याण के बजट को हटा दिया जाये तो यह भी 1 प्रतिशत से कम रह जाता है।
अतः बाल केन्द्रीत बजट की अधिकांश राशि शिक्षा एवं संबंधित मदों पर व्यय की जाती है। वहीं सोचने वाली बात यह है कि राज्य के कुल बाल बजट में बाल संरक्षण पर 1 प्रतिशत से भी कम राशि आवंटित की जाती है जबकि बाल संरक्षण से संबंधित योजनाओं में समंवित बाल संरक्षण योजना (ICPS), बाल श्रमिक कल्याण एवं समाजिक सुरक्षा तथा कल्याण संबंधी महत्त्वपूर्ण कार्यक्रम शामिल हैं। अतः बच्चों के स्वास्थ्य एवं सरक्षण संबंधी योजनाओं के बेहतर क्रियांवयन एवं इनको मज़बूत करने हेतु बजट आवंटन बढ़ाने की आवश्यकता है।

राज्य में अनुसूचित जाति एवं जनजाति उपयोजनाओं की स्थिति

भारत में आदिवासियों एवं दलितों के समग्र विकास तथा इनको विकास की मुख्य धारा से जोड़कर अन्य वर्गों एवं क्षेत्रों के समकक्ष लाने हेतु वर्ष 1974–75 में 5वीं पंचवर्षीय योजना के जनजाति उपयोजना एवं वर्ष 1979 में अनुसूचित जाति उपयोजना (जिसको 2007 से पहले विशेष संघटक योजना के नाम से जाना जाता था) की रणनीति अपनाई गई। इस रणनीति के अनुसार केन्द्र सरकार एवं प्रत्येक राज्य सरकार को अपने आयोजना बजट का आदिवासी एवं दलित आबादी के अनुपात में क्रमशः जनजाति उपयोजना एवं अनुसूचित जाति उपयोजना के तहत आवंटित कर इन वर्गों के विकास हेतु व्यय करना चाहिये। चुंकि राज्य की कुल आबादी में दलित एवं आदिवासियों का प्रतिशत, 2011 जनगणना के अनुसार क्रमशः 17.8 एवं 13.5 प्रतिशत है। अतः राज्य सरकार को अपने आयोजना बजट का कम से कम इनकी आबादी के अनुपात में दोनों उपयोजनाओं हेतु राशि आवंटित करनी चाहिये। गौरतलब है कि राज्य में दोनों उपयोजनाओं में मानदंड से बहुत ही कम राशि आवंटित एवं व्यय की जाती रही है एवं यह स्थिति केन्द्र एवं देश के करीब सभी राज्यों में देखी जा सकती है। अतः देश में विगत 4–5 वर्षों से इन उपयोजनाओं के लिये कानून बनाने की मांग की जा रही है। इसी कड़ी में आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, उत्तराखंड एवं तेलंगाना सरकारों द्वारा अपने राज्य में अनुसूचित जाति एवं जनजाति उपयोजना के लिये कानून बनाया गया। राजस्थान की पूर्व सरकार ने भी अनुसूचित जाति एवं जनजाति उपयोजना विधेयक हेतु 2013 में मसौदा तैयार कर इसे विधानसभा में पेश किया था।

लेकिन 2017–18 से केन्द्र सरकार के साथ–साथ राज्य सरकार द्वारा भी बजट के योजना एवं गैर–योजना वर्गीकरण को समाप्त किये जाने के बाद दोनों उपयोजनाएं भी लगभग समाप्त हो गयी है। इसके अलावा उपयोजनाओं हेतु केन्द्र एवं राज्य सरकारों द्वारा इस निर्णय से पूर्व बनाये गये कानून भी प्रासंगिक नहीं रहे हैं। हालांकि तेलंगाना सरकार द्वारा बनाया गया कानून बजट में इस बदलाव के बाद तथा बजट के योजना व गैर–योजना वर्गीकरण की समाप्ति को ध्यान में रखते हुये बनाया गया है।

अब चुंकि बजट के योजना व गैर–योजना वर्गीकरण की समाप्ति के बाद दोनों उपयोजनाओं का आधार ही समाप्त हो गया है। अतः इस स्थिति में राजस्थान सरकार को भी तेलंगाना सरकार की तर्ज पर अनुसूचित जाति एवं जनजाति उपयोजनाओं के क्रियांवयन के हेतु कानून बनाने की आवश्यकता है।

राज्य में उपयोजनाओं हेतु वर्ष 2016–17 तक की व्यवस्था

उपयोजनाओं के क्रियांवयन की व्यवस्थाः राज्य में अनुसूचित जाति एवं जनजाति उपयोजनाओं के क्रियांवयन एवं निगरानी हेतु नोडल विभाग/ऐजेंसी क्रमशः सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग एवं जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग है।

राज्य में अनुसूचित जाति एवं जनजाति उपयोजना हेतु आयोजना एवं बजटः राज्य में अनुसूचित जाति एवं जनजाति उपयोजना हेतु कोई व्यवस्थित आयोजना, बजट आवंटन एवं प्रक्रिया नहीं है। अगर उपयोजनाओं के आयोजना की बात करें तो राज्य, जिला एवं निम्न स्तर पर आयोजना हेतु कोई व्यवस्थित रणनीति एवं दिशा–निर्देश नहीं है। राज्य के आयोजना विभाग द्वारा उपयोजनाओं के संबंध में 6 फरवरी, 2012 को एक आदेश जारी किया था, जो इस संबंध में सरकार का मात्र एक दिशा–निर्देश है। यह परिपत्र मुख्यरुप से उपयोजनाओं के लेखांकन (Accounting) पर ज़ोर देता है। यह परिपत्र सुझाव देता है कि राज्य की बड़ी परियोजनाओं (जैसे–बिजली, ट्रांसमिशन लाईनों आदि) के संस्थापन व्यय में राज्य की दलित एवं आदिवासी आबादी के अनुपात में राशि उपयोजनाओं के बजट से शामिल किया जाये। इसके अलावा कोई खंड/गांव/क्षेत्र पूर्ण रुप से उपयोजना क्षेत्र में नहीं है तो उन खंडों/गॉवों/क्षेत्रों की परियोजना में वहां की दलित एवं आदिवासी आबादी के अनुपात में राशि उपयोजनाओं में शामिल करने की बात करता है।

उपयोजनाओं के लिये बजट की बात की जाये तो राज्य का आयोजना विभाग अपनी वार्षिक योजना में दोनों ही उपयोजनाओं का बजट आवंटन भी दर्शाता है। इसके अलावा वित्त विभाग द्वारा प्रकाशित पुस्तिका–4ब (अनुसूचित जाति तथा जनजाति उपयोजना में योजनाओं के अंतर्गत प्रावधित राशि) में भी उपयोजनाओं हेतु बजट आवंटन का योजनावार विवरण होता है। इन दोनों विवरणों के अनुसार राज्य में

दोनों ही उपयोजनाओं में मानदंड के अनुसार (करीब 17.8 एवं 13.5 प्रतिशत) राशि आवंटित की जा रही है। लेकिन इन आंकड़ों की तुलना यदि हम वित्त विभाग की विस्तृत बजट पुस्तिकाओं के आंकड़ों से करें तो ये मानदंड से बहुत ही कम है। अतः आयोजना विभाग एवं वित्त विभाग के आंकड़ों में काफी अंतर है। बजट पुस्तकों में अनुसूचित जाति उपयोजना हेतु बजट, मांग संख्या–51 एवं जनजाति उपयोजना हेतु बजट मांग संख्या–30 के अंतर्गत दर्शाया जाता है। सभी विभागों/मुख्य शीर्षों में दोनों उपयोजनाओं हेतु बजट आवंटन एवं खर्च दर्शाने के लिये अलग लघु शीर्षों (अनुसूचित जाति उपयोजना हेतु 789 एवं जनजाति उपयोजना हेतु 796) का उपयोग किया जाता है। राज्य में सभी विभागों/मुख्य शीर्षों में दोनों उपयोजनाओं हेतु निर्धारित लघु शीर्षों के अंतर्गत अनुसूचित जाति एवं जनजाति उपयोजनाओं में कुल बजट खर्च की स्थिति का विवरण निम्न ग्राफ (1,2) द्वारा दर्शाया गया है।

ग्राफ–1: अनुसूचित जाति उपयोजना : बजट व्यय (प्रतिशत में)

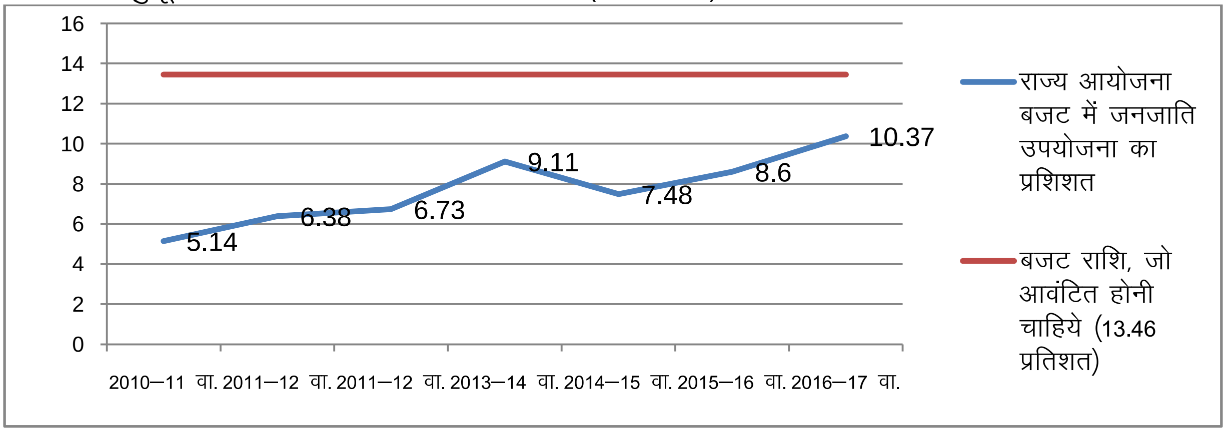

स्रोत : बजट पुस्तिका, वित्त विभाग, नोट–वा.– वास्तविक व्यय

ग्राफ–2: जनजाति उपयोजना : बजट व्यय (प्रतिशत में)

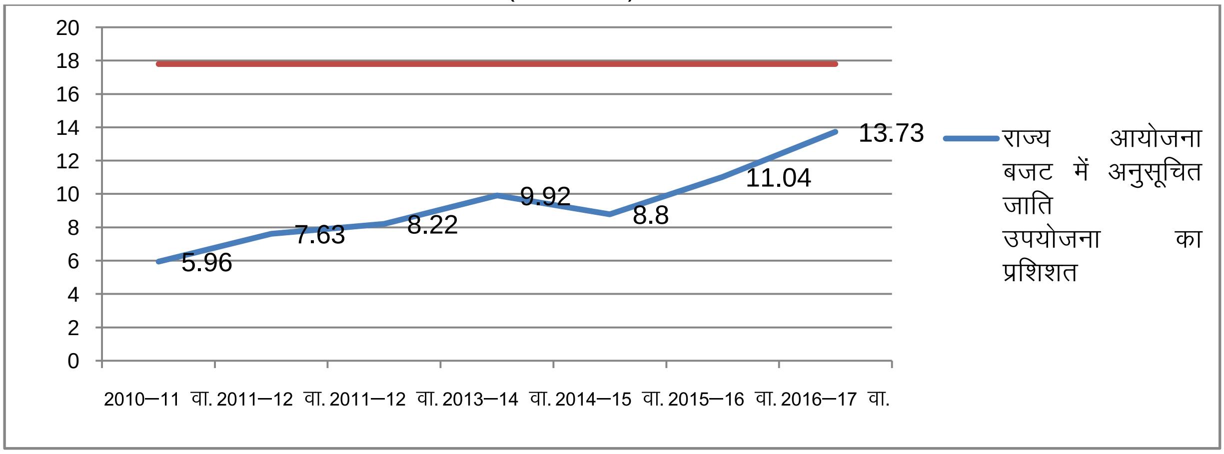

स्रोतः बजट पुस्तिका, वित्त विभाग, नोट–वा.– वास्तविक व्यय

राज्य में उपयोजनाओं हेतु 2017–18 के बाद की व्यवस्था

साल 2016–17 के बजट भाषण में केन्द्रीय वित्तमंत्री अरुण जेटली ने वित्तीय वर्ष 2017–18 से बजट के योजना, गैर–योजना वर्गीकरण को समाप्त करने की घोषणा की थी। इस घोषणा के अनुरुप वर्ष 2017–18 में केन्द्र सरकार के साथ राजस्थान एवं अन्य बहुत से राज्यों द्वारा बजट के योजना एवं गैर–योजना वर्गीकरण को समाप्त कर दिया गया। जिसके परिणामस्वरुप दोनों उपयोजनाओं के आवंटन का आधार ही समाप्त हो गया। बजट के योजना एवं गैर–योजना वर्गीकरण की समाप्ति के बाद देश में केन्द्र एवं अलग–अलग राज्य सरकारों द्वारा उपयोजनाओं के क्रियान्वयन हेतु तरह–तरह की रणनीतियां

बनाई गयी हैं तथा जिन राज्यों में इसके लिये कानून बने हुए थे उन्होंने अपने कानूनों में बदलाव किया है। जिनका विवरण आगे बॉक्स में दिया गया है।

देश में उपयोजनाओं के क्रियांवयन के संबंध में विभिन्न राज्य सरकारों के प्रयास :

देश में केन्द्र एवं राज्य स्तर पर बजट के योजना एवं गैर–योजना वर्गीकरण की समाप्ति के बाद विभिन्न राज्यों की सरकारों द्वारा उपयोजना के क्रियान्वयन के संबंध में तरह–तरह की रणनीतियां बनाई गयी। लेकिन वर्तमान में देश के विभिन्न राज्यों द्वारा उपयोजनाओं के क्रियान्वयन हेतु जो प्रविधियां एवं नीतियां अपनाई जा रही है, वे उपयोजनाओं हेतु आवश्यकता आधारित आयोजना एवं बजट के बजाय केवल इनकी अकांउटिंग एवं रिपोर्टींग पर ज़ोर देती है।

- *मध्य प्रदेश एवं छत्तीसगढ़ सरकार ने दलितों एवं आदिवासियों के लिये अलग योजनाएं तैयार कर लागू करने की बात कही है।*
- *केरल एवं तमिलनाडू सरकारों ने बजट के आयोजना एवं गैर–योजना वर्गीकरण को यथावत् रखा है।*
- *महाराष्ट्रा सरकार ने गैर योजना बजट को भी जोड़ने की बात कही है। इस हेतु आवंटन का स्तर साल (2016–17) के बजट आवंटन को मानदंड/बेंचमार्क के तौर पर लिया गया है।*
- *कर्नाटका सरकार ने इस हेतु आवंटन योग्य बजट (Allocabel Budget) को परिभाषित किया है। जिसमें कुल राज्य बजट में से वेतन, अनुदान एवं सहायता, पेंशन, प्रशासनिक व्यय, ऋणों का पुर्नभुगतान आदि को घटाकर शेष राशि को आवंटन योग्य बजट बताया है।*
- *तेलंगाना सरकार ने नया कानून बनाकर राज्य के कुल विकास कोष (प्रगतिपत्र) में से अनुसूचित जाति विशेष विकास कोष एवं जनजाति विशेष विकास कोष का निर्माण किया है।*
- *राजस्थान सरकार द्वारा दिसम्बर 2016 को जारी किये गये परिपत्र के अनुसार वर्ष 2017–18 से राजस्व व पूंजीगत मदों की समस्त योजनाओं के लिये आवंटित कुल बजट में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति उपयोजना हेतु पृथक–पृथक प्रावधान, राज्य में 2011 की जनसंख्या को आधार मानकर उक्त समुदायों की जनसंख्या के अनुपात में किये जाने का निर्देश है।*

राजस्थान सरकार ने भी योजना व गैर–योजना खर्च को समाप्त किये जाने के निर्णय के बावजूद अनुसूचित जाति एवं जनजाति उपयोजनाओं में बजट आवंटन पूर्व की भांति यथावत् रखे जाने की बात कही थी। जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है राजस्थान सरकार द्वारा 28 दिसम्बर 2016 को इस संबंध में एक परिपत्र जारी किया गया जिसमें स्पष्ट किया है कि ''राजस्व व पूंजीगत मदों की समस्त योजनाओं के लिये अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति उपयोजना हेतु पृथक–पृथक प्रावधान, राज्य की कुल जनसंख्या में उक्त समुदायों की जनसंख्या के अनुपात में किया जाना है।'' राज्य सरकार ने इसके लिये वर्ष 2011 की जनगणना को आधार बनाने का निर्देश दिया है। हालांकि साथ ही यह प्रपत्र (2016) विभिन्न योजनाओं/कार्यक्रमों में किस प्रकार अनुसूचित जाति और जनजाति के लिये राशि का प्रावधान करना है, इसके तरीके भी बताता है। लेकिन इसके बाद राज्य बजट में पहले की तरह ही इन उपयोजनाओं (या अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लिये प्रावधान) के दो प्रकार के आंकड़े मिलते हैं। विस्तृत बजट पुस्तिकाओं में इन उपयोजनाओं के लिये निर्धारित दो उपशीर्षों– 796 एवं 789 के तहत आवंटित बजट और साथ ही बजट पुस्तिका 4ब में अनुसूचित जाति तथा जनजाति उपयोजना हेतु योजनाओं के अंतर्गत प्रावधित राशि का विवरण दिया जाता है परन्तु समस्या यह है कि दोनों आंकड़ों में बहुत अन्तर होता है।

राज्य में वर्ष 2017–18 से उपयोजनाओं हेतु बजट आवंटनः बजट में योजना एवं गैर–आयोजना वर्गीकरण की समाप्ति के बाद विभागों/मुख्य शीर्षों के अंतर्गत उपयोजनाओं हेतु निर्धारित मांग संख्या एवं लघु शीर्षों के अंतर्गत बजट आवंटन दर्शाया गया है। लेकिन उपयोजनाओं हेतु आवंटित बजट का राज्य एवं विभागों के योजनागत बजट के संदर्भ में आंकलन नहीं किया जा सकता है।
निम्न तालिका में दोनों उपयोजनाओं के लिये निर्धारित उपशीर्षों (789–अनुसूचित जाति उपयोजना एवं 796–जनजाति उपयोजना) के तहत आवंटित कुल बजट का विवरण दिया गया है।

तालिका–1: अनुसूचित जाति एवं जनजाति उपयोजना हेतु बजट आवंटन (करोड़ रु. में)

वर्ष	अनुसूचित जाति उपयोजना	जनजाति उपयोजना
2017–18 (बजट अनुमान)	9456.8	7326.19
2017–18 (संशोधित अनुमान)	9204.8	8008.48
2018–19 (बजट अनुमान)	12514.27	10633.75

स्रोतः बजट पुस्तिकाएं (2ब, 2स, 2द एवं 3अ), वित्त विभाग, राजस्थान सरकार

वर्ष 2017–18 के बजट अनुमान में अनुसूचित जाति उपयोजना हेतु सभी विभागों में कुल करीब 9456.8 करोड़ रु. एवं जनजाति उपयोजना हेतु कुल करीब 7,326 करोड़ रु. आवंटित किये गये। वर्ष 2018–19 के बजट अनुमान में अनुसूचित जाति उपयोजना हेतु कुल तकरीबन 12,514 करोड़ रु. तथा जनजाति उपयोजना हेतु 10,633 करोड़ रु. प्रस्तावित किये गये हैं। लेकिन वर्ष 2017–18 से उपयोजनाओं में आवंटित बजट का राज्य के आयोजना बजट के संदर्भ में विश्लेषण नहीं किया जा सकता है। इसके अलावा यह सवाल भी महत्वपूर्ण है कि इन उपयोजनाओं में बजट आवंटन किस आधार पर किया गया है अर्थात् आवंटन का आधार क्या रहा है, यह स्पष्ट नहीं है।

राज्य में समस्त योजनाओं के कुल बजट में उपयोजनाओं हेतु प्रावधान

जैसा कि ऊपर यह उल्लेख किया गया है कि राज्य सरकार द्वारा दिसम्बर 2016 को जारी किये गये परिपत्र में के अनुसार वर्ष 2017–18 से "राजस्व व पूंजीगत मदों की समस्त योजनाओं के लिये अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति उपयोजना हेतु पृथक–पृथक प्रावधान, राज्य में 2011 की जनसंख्या को आधार मानकर उक्त समुदायों की जनसंख्या के अनुपात में किया जाना निर्देशित है।" इस निर्देश के अनुसार राज्य में उपयोजनाओं हेतु बजट आवंटन का योजनावार विवरण वित्त विभाग द्वारा प्रकाशित पुस्तिका–4ब (अनुसूचित जाति तथा जनजाति उपयोजना में योजनाओं के अंतर्गत प्राविधित राशि) में मिलता है। इस पुस्तिका में दोनों उपयोजनाओं हेतु बजट का विवरण निम्न तालिका में दर्शाया गया है।

तालिका–2: राजस्थान में समस्त योजनाओं हेतु कुल बजट एवं उसमें अनुसूचित जाति एवं जनजाति उपयोजना हेतु प्रावधान (राशि करोड़ रु. में)

वर्ष	कुल योजनागत प्रावधान	अनुसूचित जाति उपयोजना	जनजाति उपयोजना
2017–18	81157.97	14483.93 (17.85)	11218.93 (13.82)
2018–19	107865.40	19283.74 (17.88)	14610.06 (13.54)
2019–20	118055.66	21079.48 (17.86)	16085.72 (13.63)

स्रोतः बजट पुस्तिका–4ब, वित्त विभाग, राजस्थान सरकार

उपरोक्त तालिका के अनुसार राज्य में दोनों ही उपयोजनाओं में मानदंड के अनुसार (करीब 17.8 एवं 13.5 प्रतिशत) राशि आवंटित की जा रही है। लेकिन इन आंकड़ों की तुलना यदि हम वित्त विभाग की विस्तृत बजट पुस्तिकाओं के आंकड़ों (तालिका–1) से करें तो इनमें काफी अंतर है। अतः 2017–18 से

राज्य बजट में पहले की तरह ही इन उपयोजनाओं (अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लिये प्रावधान) के दो प्रकार के आंकड़े मिलते हैं। अतः राजस्थान सरकार को इसमें स्पष्टता लाने की आश्यकता है।

अनुसूचित जाति एवं जनजाति उपयोजनाओं के संबंध में नीति आयोग ने अपने तीन वर्षीय कार्य योजना मसौदे (2017—18 से 2019—20) में दोनों उपयोजनाओं के लिए निर्धारित आवंटन सुनिश्चित करने के अलावा, जरूरतों के आधार पर नियोजन के साथ ही परिणामों की निगरानी और मूल्यांकन के लिए एक मजबूत तंत्र स्थापित करने पर ज़ोर दिये जाने की बात की है।

राज्य में उपयोजनाओं का जिला एवं निम्न स्तर पर क्रियांवयनः

राज्य में उपयोजनाओं का जिला एवं निम्न स्तर पर क्रियांवयन भी बहुत खराब है। जिला एवं निम्न स्तर पर उपयोजनाओं के क्रियांवयन की स्थिति को जानने के लिये बार्क द्वारा दो अध्ययन (वर्ष 2013 एवं 2015 में) किये गये। इन अध्ययनों में यह पाया गया कि जिला एवं निम्न स्तर पर आयोजना, बजट आवंटन एवं खर्च के लिहाज से उपयोजनाओं के क्रियांवयन की स्थिति काफी खराब है एवं इन स्तरों पर उपयोजनाओं हेतु कोई व्यवस्थित दिशा—निर्देश भी नहीं है। इन स्तरों पर विभिन्न विभागों में कार्यरत अधिकारियों एवं कर्मचारियों में उपयोजनाओं के संबंध में जानकारी का अभाव है। अध्ययनों के अनुसार जिला एवं निम्न स्तर पर अलग से आंकड़े भी उपलब्ध नहीं हैं।

उपयोजनाओं का जिला स्तरीय आंकलनः राज्य में अनुसूचित जाति एवं जनजाति उपयोजना की स्थिति का जिला स्तर पर आंकलन हेतु राजस्थान सरकार के पंचायतीराज विभाग द्वारा प्रकाशित पुस्तिका— जिला आयोजना 2018—19 जिलेवार (District Plan 2018-19: District Wise) का उपयोग किया गया है। राज्य सरकार ने हाल ही में इस दस्तावेज़ का प्रकाशन आरंभ किया है। इस दस्तावेज में सभी जिलों में 35 विभागों हेतु उपलब्ध अधिकतम आवंटित बजट राशि (अनुसूचित जाति एवं जनजाति उपयोजनाओं सहित) का विवरण उपलब्ध है। उपयोजनाओं का जिला स्तरीय प्रस्तुत आंकलन इस दस्तावेज में सभी विभागों हेतु उपलब्ध कुल बजट राशि के आंकडों के विश्लेषण पर आधारित है।

तालिका—3: राजस्थान में जिलेवार अनुसूचित जाति एवं जनजाति उपयोजना हेतु प्रावधान (करोड़ रु. में)

जिला	कुल बजट राशि	जनजाति उपयोजना		जनजाति जनसंख्या	अनुसूचित जाति उपयोजना		अनुसूचित जाति जनसंख्या
		बजट राशि	प्रतिशत	प्रतिशत	बजट राशि	प्रतिशत	प्रतिशत
अजमेर	2026.8	217.2	10.7	2.5	360.8	17.8	18.5
अलवर	2302.5	294.1	12.8	7.9	442.8	19.2	17.8
बांसवाड़ा	2261.6	772.4	34.2	76.4	330.3	14.6	4.5
बारां	1425.2	246.6	17.3	22.6	263.0	18.5	18.1
बाड़मेर	2641.6	296.2	11.2	6.8	553.3	20.9	16.8
भरतपुर	1717.5	172.9	10.1	2.1	327.6	19.1	21.9
भीलवाड़ा	1708.9	205.8	12.0	9.5	344.7	20.2	16.9
बीकानेर	2165.5	209.7	9.7	0.3	389.7	18.0	20.9
बूंदी	1157.2	148.3	12.8	20.6	221.8	19.2	19
चित्तौडगढ़	1658.1	316.8	19.1	13.1	275.8	16.6	16.2
चुरू	1473.1	153.0	10.4	0.06	325.3	22.1	22.1
दौसा	1321.8	160.0	12.1	26.5	281.0	21.3	21.7
धौलपुर	1088.6	121.6	11.2	4.9	222.5	20.4	20.4
डूंगरपुर	1907.1	640.5	33.6	70.8	267.5	14.0	3.8
गंगानगर	1504.6	149.5	9.9	0.7	379.3	25.2	36.6
हनुमानगढ़	1282.5	130.6	10.2	0.8	308.6	24.1	27.8
जयपुर	3187.5	407.7	12.8	8	587.5	18.4	15.1
जैसलमेर	1276.3	153.0	12.0	6.3	240.8	18.9	14.8
जालौर	1449.9	181.7	12.5	9.8	304.6	21.0	19.5

झालावाड़	1496.7	176.2	11.8	12.9	281.7	18.8	17.3
झुंझुनूं	1199.9	136.2	11.4	1.9	231.6	19.3	16.9
जोधपुर	2956.5	365.6	12.4	3.2	586.3	19.8	16.5
करौली	1243.4	155.8	12.5	22.3	260.8	21.0	24.3
कोटा	1701.9	200.0	11.8	9.4	299.2	17.6	20.8
नागौर	2013.1	217.2	10.8	0.3	447.4	22.2	21.2
पाली	1627.2	204.5	12.6	7.1	325.2	20.0	19.5
राजसमन्द	1279.1	202.0	15.8	13.9	228.1	17.8	12.8
सवाई माधोपुर	1186.2	151.3	12.8	21.4	217.3	18.3	20.9
सीकर	1435.6	159.1	11.1	2.8	288.6	20.1	15.6
सिरोही	1155.7	295.0	25.5	28.2	199.9	17.3	19.5
टोंक	1168.5	149.0	12.8	12.5	222.0	19.0	20.3
उदयपुर	3011.4	847.5	28.1	49.7	432.5	14.4	6.1
प्रतापगढ़	1377.9	456.3	33.1	63.4	184.7	13.4	7
अवितरित	5875.7	776.2	13.2		952.4	16.2	
कुल योग	62285.3	9469.6	15.2	13.5	11584.8	18.6	17.8

स्रोतः जिला आयोजना 2018–19, जिलेवार, पंचायतीराज विभाग, राजस्थान
नोटः अवितरित राशि सीलिंग बजट राशि का हिस्सा है जो जिलों को आवंटित नहीं की जाती है।

उपरोक्त आंकड़ों से स्पष्ट है कि राज्य के सभी जिलों में सभी विभागों में अनुसूचित जाति एवं जनजाति उपयोजना हेतु आवंटित बजट राशि किस आधार पर की गई है यह समझना मुश्किल है। उपयोजनाओं का आवंटन इन जिलों में अनुसूचित जाति एवं जनजाति वर्गों के आबादी अनुपात से कहीं पर अधिक तो कहीं पर कम है। अतः इन जिलों में अनुसूचित जाति एवं जनजाति जनसंख्या के अनुपात तथा अनुसूचित जाति एवं जनजाति उपयोजना हेतु दर्शायी गयी बजट राशि में किसी प्रकार की एकरुपता नहीं है। जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है राज्य में जिला स्तर पर अनुसूचित जाति एवं जनजाति उपयोजनाओं के क्रियान्वयन हेतु व्यवस्थित रणनीति एवं दिशा–निर्देश नहीं हैं। हालांकि अनुसूचित जाति एवं जनजाति उपयोजनाओं के जिला स्तरीय क्रियान्वयन के इस विश्लेषण हेतु उपयोग किये गये उपरोक्त आंकड़े, पंचायतीराज विभाग द्वारा 35 विभागों हेतु जिला आयोजना (2018–19) में उपलब्ध सीलिंग (अधिकतम) बजट राशि के विवरण पर आधारित है और वास्तविक आंवटन या वास्तविक खर्च को नहीं दिखाते। ऐसे में यह कहना मुश्किल है कि राज्य में जिला एवं निम्न स्तर पर विभिन्न विभाग दोनों उपयोजनाओं हेतु बजट आवंटन कितना एवं किस आधार पर कर रहे है। अतः सरकार द्वारा राज्य में जिला एवं निम्न स्तर पर उपयोजनाओं हेतु आयोजना निर्माण, इनके क्रियान्वन एवं बजट खर्च के संबंध में दिशा–निर्देश जारी किये जाने चाहिये।

मुद्दे एवं नीतिगत सुझाव

उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है कि सरकारों द्वारा योजना एवं गैर–योजना बजट वर्गीकरण की समाप्ति से उपयोजनाओं का आधार समाप्त हो गया है। आयोजना समाप्त होने के परिणामस्वरुप उपयोजनाएं भी लगभग समाप्त हो गयी हैं। अतः हमारा सुझाव है किः

- राजस्थान सरकार द्वारा अनुसूचित जाति तथा जनजाति उपयोजना को कानूनी रूप देने हेतु तेलंगाना सरकार की तर्ज पर कानून पारित किया किया जाये।
- सभी विभागों में दलितों एवं आदिवासियों को सीधे लाभ पहुंचाने वाली विशेष योजनाएं बनाकर इस कोष से क्रियांवित की जायें।
- उपयोजनाओं की राशि ना तो कम की जाये और ना ही अन्य मदों में हस्तांतरित की जाये, बल्कि शेष बची राशि को अगले वर्ष उपयोग में लेने की व्यवस्था हो।
- अनुसूचित जाति एवं जनजाति वर्गों की महिलाओं के अधिकार एवं सशक्तिकरण के लिये विधेयक एवं रणनीति में प्रावधान किये जायें।

- उक्त विधेयक के अंतर्गत बजट खर्च की आयोजना, नियमित निगरानी एवं नियंत्रण की व्यवस्था की जाये। आयोजना हेतु जमीनी स्तर पर डेटाबेस तैयार कर ग्राम स्तर से आयोजना तैयार किया जाना सुनिश्चित किया जाये।
- अनुसूचित जाति एवं जनजाति उपयोजना के लिये आयोजना हेतु निम्न से उच्च (Bottom up planning) की आयोजना रणनीति अपनाई जाये। इसके अलावा इन उपयोजनाओं को पंचायतीराज आयोजना से जोड़ा जाये।
- राज्य सरकार को केन्द्र सरकार की तरह उपयोजनाओं के अंतर्गत किये जाने वाले बजट आवंटन को दर्शाने हेतु अलग स्टेटमेंट (21 एवं 21ए) जारी करने चाहिये।
- उपयोजनाओं हेतु आयोजना, बजट आवंटन एवं खर्च, निगरानी तथा पारदर्शिता हेतु राज्य, जिला एवं निम्न स्तर के सभी विभागों के साथ पंचायतीराज संस्थाओं को दिशा–निर्देश जारी किये जायें।
- उपयोजनाओं के व्यवस्थित क्रियांवयन हेतु पारदर्शिता एवं जबावदेही की मजबूत व्यवस्था हो। इस हेतु हर विभाग प्रत्येक स्तर पर मासिक व्यय एवं प्रगति की समीक्षा बैठक करे। साथ ही लोक लेखा समिति (पी.ए.सी.) में भी उपयोजनाओं की समीक्षा की व्यवस्था हो।
- अनसूचित क्षेत्रों में पेसा कानून ग्रामसभा को आयोजना (अनुसूचित जनजाति उपयोजना सहित) का अधिकार देता है। उपयोजनाओं से संबंधित आगामी कानून एवं रणनीति में पेसा के इस प्रावधान को शामिल किया जाना आवश्यक है।
- विधेयक में जनजाति कल्याण निधि (महाराष्ट्रा पैटर्न) के संबंध में नियम भी शामिल किये जायें।
- कार्यक्रमों को लागू करने का संस्थापन व्यय एवं वेतन आदि के खर्च को इससे अलग रखा जाये।
- कुछ दक्षिण भारतीय राज्यों की सरकारों द्वारा भूमिहीन दलितों एवं आदिवासियों को उपयोजनाओं के तहत भूमि उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में खरीदकर भूमि वितरित की जा रही है जो कि एक सफल कार्यक्रम है। अतः राजस्थान सरकार भी ऐसा कार्यक्रम बना सकती है।

राज्य में पेंशन योजनाओं हेतु बजट में मामूली बढ़ोत्तरी

भारत के संविधान के अनुच्छेद 41 द्वारा राज्य सरकारों को निर्देशित किया गया है कि वे अपने बेसहारा, वृद्धजन, बीमार, विकलांग एवं अन्य अभावग्रस्थ नागरिकों के लिए सहायता उपलब्ध कराए। इन सिद्धांतों के अनुसार भारत सरकार ने सहायता उपलब्ध कराने के लिए एक राष्ट्रीय नीति के अंतर्गत वर्ष 1995 में राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (एनएसएपी) को आरम्भ किया। इसी प्रकार, राजस्थान में भी सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की ओर से वृद्धजनों, महिलाओं, बच्चों एवं निःशक्तजनों के कल्याण के लिये कई कार्यक्रम चलाये जाते है। इनमें पेंशन योजनाओं से जुड़े कार्यक्रम वृद्धजनों, विधवा महिलाओं तथा निःशक्तजनों को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते है।

राजस्थान में सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनायें, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा लागु की गयी है। वर्ष 2018–19 के बजट में 2017–18 की ही तरह प्रतिमाह पेंशन दर लागू की जायेगी। वृद्धजन सम्मान पेंशन के अंतर्गत 55 वर्ष से ज्यादा उम्र वाली महिलाओं को एवं 58 वर्ष से ज्यादा उम्र वाले पुरूषों को 750 रू प्रतिमाह तथा 75 वर्ष से ज्यादा उम्र वाली महिलाओं एवं पुरूषों को 1000 रू. प्रतिमाह की पेंशन राशि प्राप्त होगी। विधवा/एकल महिलाएं जिनकी उम्र 18 से 60 के बीच है उनको 500 रू. प्रतिमाह, जिनकी उम्र 60 से 75 के बीच है उनको 1000 रू. प्रतिमाह तथा जिनकी उम्र 75 से अधिक है उनको 1500 रू. प्रतिमाह की पेंशन राशि प्राप्त होगी और राज्य के विशेष योग्यजनों को 750 रू. प्रतिमाह की पेंशन राशि प्राप्त होगी।

पेंशन योजनाओं की राशि राज्य बजट के मुख्य शीर्ष '2235–सामाजिक सुरक्षा व कल्याण' के अंतर्गत आवंटित की जाती है तथा इन योजनाओं का क्रियान्वयन 'सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग' के माध्यम से किया जाता है। वर्ष 2019–20 के बजट अनुमान में वृद्धजनों, विधवा महिलाओं तथा निःशक्त जनों के कल्याण हेतु पेंशन योजनाओं के लिये राज्य सरकार ने कुल 6698.19 करोड़ रूपए की राशि आवंटित की है जो कि राज्य के कुल बजट का लगभग 3.09 प्रतिशत है, तथा वर्ष 2018–19 के बजट अनुमान से वर्ष 2019–20 के बजट अनुमान में 2560.78 करोड़ रू. बढ़ोत्तरी हुई है तथा इसी वर्ष 2018–19 के संशोधित अनुमान से 1529.98 करोड़ रू. बढ़ोत्तरी हुई है।

पिछले पाँच वर्षों में पेंशन योजनाओं में आवंटित राशि का विवरण निम्न प्रकार है:

सारणी– 1: पेंशन योजनाओं पर व्यय (राशि करोड़ रू. में)

शीर्ष	लेखा शीर्ष	2016–17 (लेखे)	2017–18 (बजट अनुमान)	2017–18 (संशोधित अनुमान)	2017–18 (लेखे)	2018–19 (बजट अनुमान)	2018–19 (संशोधित अनुमान)	2019–20 (बजट अनुमान)
2235–196–(02)	मुख्यमंत्री वृद्धजन सम्मान पेंशन योजना	2961.5	3030	2953.67	2908.52	2965.34	2947.49	4049.60
2235–196–(01)–[05,08,11]	इंदिरा गांधी राष्ट्र वृद्धावस्था पेंशन	212.67	241.99	251.44	238.54	264.01	199.95	283.54
वृद्धावस्था पेंशन का योग		3174.17	3271.99	3205.11	3147.06	3229.35	3147.44	4333.14
2235–196–(03)	मुख्यमंत्री एकलनारी सम्मान पेंशन योजना)	436.24	447	545.65	550.19	546.94	1480.19	1718.60
2235–196–(01)–[06,09,12]	इंदिरा गांधी विधवा पेंशन	39.6	46.45	56.33	53.57	58.91	140.27	157.74
विधवा पेंशन का योगः		475.84	493.45	601.98	603.76	605.85	1620.46	1876.34
2235–196–(04)	मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन सम्मान पेंशन योजना	211.96	218	292.24	298.48	292.84	390.95	475.76
2235–196–(01)–[07,10,13]	इंदिरा गांधी राष्ट्रीय निशक्त पेंशन	7.18	9.9	8.93	8.35	9.37	9.36	12.95

विशेष योग्यजन पेंशन का योगः	219.14	227.9	301.17	306.83	302.21	400.31	488.71
महायोगः	3869.15	3993.34	4108.26	4057.65	4137.41	5168.21	6698.19

स्रोतः बार्क द्वारा बजट 2013–14, 2014–15, 2015–16 तथा 2016–17 के विश्लेषण पर आधारित

वर्ष 2017–18 के लेखे में पेंशन योजनाओं में 2016–17 के लेखे की तुलना में लगभग 188.5 करोड़ रू. बढ़ोत्तरी हुई है। वर्ष 2017–18 के बजट अनुमान 3993.34 करोड़ रुपये की तुलना में इसी वर्ष का वास्तविक व्यय 4057.65 करोड़ रुपये रहा है, यानि बजट अनुमान से वास्तविक व्यय में 1.61 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। ऊपर दी तालिका से देखा जा सकता है कि मुख्यमंत्री वृद्धजन सम्मान पेंशन योजना में वर्ष 2018–19 के बजट अनुमान की तुलना में वर्ष 2019–20 के बजट अनुमान में 1084.26 करोड़ रुपये की बढ़ोत्तरी हुई है। इसी प्रकार लगभग सभी पेंशन योजनाओं के बजट में पिछले वर्ष के बजट अनुमान की तुलना में वर्तमान वर्ष के बजट अनुमान में वृद्धि हुई है।

पेंशन लाभार्थी

वर्ष 2013–14 में राज्य की वृद्धावस्था तथा विधवा पेंशन योजना के अंतर्गत पेंशन पात्रता हेतु लाभार्थियों के परिवार में 25 वर्ष या इससे अधिक उम्र के सदस्य नहीं होने की शर्त के समाप्त होने के बाद तथा पेंशन योजनाओं के विस्तार के लिये 20 अप्रेल से 15 जून 2013 तक लगाये गये पेंशन शिविरों के कारण पेंशन लाभार्थीयों की संख्या में काफी बढ़ोत्तरी हुई।

नीचे दी गयी सारणी में 2013 से अभी तक तीनों तरह की पेंशन के लाभार्थियों की संख्या को दिखाया गया है।

सारणी 2: उक्त पेंशन योजनाओं के लाभार्थियों की संख्या (राशि लाख रू. में)

	वृद्धावस्था पेन्शन	विधवा पेन्शन	निःशक्त पेन्शन	कुल
31 मार्च 2013	8.71	4.04	1.64	14.40
15 जून 2013	–	–	–	40.43
31 मार्च 2014	45.91	7.66	3.57	57.15
19 मार्च 2015	46.6	7.6	3.6	57.8
21 मार्च 2016	46.6	7.7	3.6	57.9
17 फरवरी 2018	49.34	9.96	4.15	63.45

स्रोतः सामाजिक सुरक्षा पेंशन, राजस्थान (http://rajssp.raj.nic.in)

जैसा की पहले बताया गया है, पेंशन योजनाओं में विस्तार के लिए किये गये प्रयासों के चलते लाभार्थीयों की संख्या में काफी बढ़ोत्तरी हुई है। सामाजिक सुरक्षा पेंशन की वैबसाइट पर मौजूद लाभार्थीयों की संख्या पर दस्तावेज़ (सारणी–2) से ज्ञात होता है कि कुल पेंशन लाभार्थीयों की संख्या 31 मार्च 2013 को 14.40 लाख से बढकर 15 जून 2013 को 40.43 लाख हो गयी, मार्च 2014 में यह संख्या बढ़कर 57.1 लाख हो गयी है, परन्तु मार्च 2015 में लाभार्थीयों की संख्या में केवल 65 हज़ार तथा मार्च 2016 में केवल 10 हज़ार की बढ़ोत्तरी हुई है। फरवरी 2018 में लाभार्थीयों की संख्या 63.45 लाख हो गयी है।

उपरोक्त पेंशन योजनाओं के बजट में सरकार ने पिछले वर्ष के संशोधित अनुमान की तुलना में मामूली वृद्धि की गई है परन्तु इन पेंशन योजनाओं के माध्यम से खर्च की जा रही राशि समाज के एक कमजोर तबके के लिये अत्यंत आवश्यक है। इसलिये हमें आशा है कि सरकार आगामी वर्षो मे इन पेंशन योजनाओं को और मजबूती से लागू करने के प्रयास करेगी तथा हर तबके के लिये पेंशन दर को बढ़ाने पर भी विचार करेगी।

राज्य में अल्पसंख्यकों की स्थिति एवं बजट

राजस्थान की जनसंख्या (जनगणना 2011) 6.85 करोड़ है, जिसमें अल्पसंख्यक समुदाय की जनसंख्या लगभग 11.41 प्रतिशत अर्थात् 78.18 लाख है। राज्य में मुस्लिम 62.15 लाख (9.07 प्रतिशत) हैं। राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में 6.14 प्रतिशत तथा शहरी क्षेत्रों में 17.91 प्रतिशत मुस्लिम निवास करते हैं। नीचे दी गयी तालिका से देखा जा सकता है कि राज्य के 33 जिलों में से 12 जिले ऐसे है जहाँ मुस्लिम समुदाय की जनसँख्या 10 प्रतिशत से अधिक है तथा मुस्लिम समुदाय की सर्वाधिक आबादी (25.10 प्रतिशत) जैसलमेर जिले में एवं सबसे कम (2.06 प्रतिशत) डूंगरपुर में है।

तालिका–1: 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य की कुल जनसँख्या में मुस्लिम समुदाय की स्थिति

क्र. सं.	जिला	राज्य की कुल जनसँख्या	मुस्लिम जनसँख्या	प्रतिशत	क्र. सं.	जिला	राज्य की कुल जनसँख्या	मुस्लिम जनसँख्या	प्रतिशत
1	अजमेर	2583052	314159	12.16	18	जैसलमेर	669919	168129	25.10
2	अलवर	3674179	547335	14.90	19	जालौर	1828730	78990	4.32
3	बांसवाडा	1797485	48834	2.72	20	झालावाड़	1411129	96164	6.81
4	बारां	1222755	79984	6.54	21	झुंझुनू	2137045	228178	10.68
5	बाड़मेर	2603751	321192	12.34	22	जोधपुर	3687165	411558	11.16
6	भरतपुर	2548462	371286	14.57	23	करौली	1458248	81553	5.59
7	भीलवाडा	2408523	142427	5.91	24	कोटा	1951014	243993	12.51
8	बीकानेर	2363937	235741	9.97	25	नागौर	3307743	454487	13.74
9	बूंदी	1110906	66609	6.00	26	पाली	2037573	143476	7.04
10	चित्तौडगढ	1544338	97855	6.34	27	प्रतापगढ़	867848	25597	2.95
11	चुरू	2039547	249736	12.24	28	राजसमन्द	1156597	33677	2.91
12	दौसा	1634409	45488	2.78	29	सवाई माधोपुर	1335551	155681	11.66
13	धौलपुर	1206516	72258	5.99	30	सीकर	2677333	327583	12.24
14	डूंगरपुर	1388552	28662	2.06	31	सिरोही	1036346	30479	2.94
15	श्रीगंगानगर	1969168	50688	2.57	32	टोंक	1421326	153146	10.77
16	हनुमानगढ़	1774692	118673	6.69	33	उदयपुर	3068420	104307	3.40
17	जयपुर	6626178	687452	10.37		कुल जनसँख्या	68548437	6215377	9.07

स्रोतः– वार्षिक प्रतिवेदन, अल्पसंख्यक विभाग, राजस्थान, 2017–18

मुस्लिम समुदाय में साक्षरता व लिंगानुपात : 2001 व 2011 की जनगणना के अनुसार मुसलमानों में साक्षरता दर समस्त वर्गों से कम है और महिलाओं की स्थिति तो और भी चिंताजनक है। राज्य में मुस्लिम समुदाय में साक्षरता दर 68.5 प्रतिशत है जबकि अन्य वर्गों में 74 प्रतिशत है तथा महिलाओं की साक्षरता दर 62 प्रतिशत है। वहीं मुस्लिम समुदाय में लिंगानुपात राष्ट्रीय स्तर तथा राजस्थान में समस्त वर्गों की अपेक्षा काफी बेहत्तर है, 2011 की जनगणना के अनुसार राष्ट्रीय स्तर पर समस्त वर्ग में लिंगानुपात 943 है जबकि मुस्लिम समुदाय में यह 951 है तथा राजस्थान में मुस्लिम समुदाय में लिंगानुपात 946 है।

तालिका–2: मुस्लिम समुदाय में साक्षरता दर एवं लिंगानुपात की स्थिति (आंकड़े प्रतिशत में)

साक्षरता दर/ लिंग अनुपात	2001				2011	
	भारत		राजस्थान		भारत	
	समस्त वर्ग	मुस्लिम	समस्त वर्ग	मुस्लिम	समस्त वर्ग	मुस्लिम
साक्षरता दर (सम्पूर्ण)	64.83	59.1	60.4	56.6	74.04	68.5
साक्षरता दर (पुरुष)	75.26	67.6	75.7	71.4	82.14	74.7
साक्षरता दर (महिला)	53.67	50.1	43.9	40.8	65.56	62
लिंग अनुपात (सम्पूर्ण)	933	936	921	929	943	951

स्रोत :– जनगणना, 2001 व 2011

तालिका–3: राष्ट्रीय स्तर पर मुस्लिम समुदाय में ड्रॉपआउट दर (प्रतिशत में)

	2013–14			2014–15		
	लड़के	लड़कियां	कुल	लड़के	लड़कियां	कुल
सैकेंडरी लेवल	24.06	23.27	23.66	24.71	23.58	24.12
हायर सैकेंडरी लेवल	6.40	4.00	5.19	8.55	6.29	7.40

स्रोतः श्रीमती किरण खेर द्वारा लोकसभा में दिनांक 27/12/2017 को पूछे गये प्रश्न संख्या–1472 के जबाब में श्री मुख्तार अब्बास नकवी (मंत्री, अल्पसंख्यक मंत्रालय, भारत सरकार) द्वारा प्रस्तुत किये गये आंकड़े: http%//-100-164 /190-47loksabhaquestions/annex//13AU-1472pdf

मुस्लिम समुदाय में पढ़ाई बीच में छोड़ देना भी गंभीर समस्या है। तालिका–3 में दिए हुए आंकड़े बताते है कि मुस्लिम समुदाय के लड़के और लड़कियों दोनों ही बड़े स्तर पर पढ़ाई बीच में ही छोड़ देते है। 2013–14 से 2014–15 के बीच सेकेंडरी स्तर पर कुल ड्रॉपआउट 23.66 प्रतिशत से बढ़कर 24.12 प्रतिशत हो गया है। इससे जाहिर है कि उच्च शिक्षा में अल्पसंख्यक समुदाय के पुरुष व महिलाओं का नामांकन दूसरे वर्गों की अपेक्षा काफी कम है। तालिका–4 में दिए गये आंकड़े बताते हैं कि समस्त वर्गों की अपेक्षा मुस्लिम वर्ग में उच्च शिक्षा में नामांकन मात्र 1.68 प्रतिशत है।

तालिका–4 : राजस्थान में उच्च शिक्षा में अल्पसंख्यक महिलाओं के लिए नामांकन 2015–16

	समस्त वर्ग			मुस्लिम समुदाय			कुल नामांकन में मुस्लिम समुदाय का प्रतिशत		
	पुरुष	महिला	कुल	पुरुष	महिला	कुल	पुरुष	महिला	कुल
राजस्थान	992153	969307	1961460	19657	13301	32958	1.98	1.37	1.68

स्रोतः उच्चतर शिक्षा संबधी अखिल भारतीय सर्वेक्षण, 2015–16

राजस्थान में अल्पसंख्यक विभाग के कार्यक्रम एवं बजटः राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2009 में अल्पसंख्यक मामलात विभाग का गठन किया गया। इस विभाग का गठन अल्पसंख्यकों के लिए कल्याणकारी योजनाओं की निगरानी, उनकी समस्याओं और शिकायतों के समाधान हेतु किया गया। अल्पसंख्यक मामलात विभाग का बजट आवंटन मुख्य शीर्ष 2202, 2225, 2250, 4225, 6225 के अंतर्गत होता है। नीचे दी गई सारणी में विगत पांच वर्षों में विभाग के लिए आवंटित बजट का विवरण दिया गया है।

तालिका–5: राज्य में अल्पसंख्यक मामलात विभाग का बजट (करोड़ रू. में)

वर्ष		कुल राज्य बजट*	अल्पसंख्यक विभाग का बजट	राज्य बजट में प्रतिशत
2015–16	बजट अनुमान	137713.38	102.14	0.07
	संशोधित अनुमान	137455.78	109.62	0.08
	वास्तविक व्यय	129736.02	97.01	0.07
2016–17	बजट अनुमान	151127.75	155.47	0.10
	संशोधित अनुमान	148506.69	155.71	0.10
	वास्तविक व्यय	139727.68	141.55	0.10
2017–18	बजट अनुमान	166753.9	166.49	0.10
	संशोधित अनुमान	175615.12	154.37	0.09
	वास्तविक व्यय **	164472.47	129.02	0.08
2018–19	बजट अनुमान	197274.66	180.60	0.09
	संशोधित अनुमान**	197258.89	164.98	0.08
2019–20	बजट अनुमान**	216932.55	165.58	0.08
2019–20	बजट अनुमान***	218222.05	165.58	0.08

स्रोतः बजट पुस्तिका, राजस्थान सरकार, *राज्य का कुल बजट उदय रहित है।
**वर्ष 2019–20 का अंतरिम बजट, ***वर्ष 2019–20 का परिवर्तित बजट

ऊपर दी गई तालिका में पिछले पांच वर्षों में अल्पसंख्यक मामलात विभाग के लिये आवंटित राशि का राज्य के कुल बजट में अनुपात दिखाया गया है जिससे यह चिंताजनक स्थिति दिखाई देती है कि पिछले पांच वर्षों में अल्पसंख्यक मामलात विभाग का कुल बजट राज्य के कुल बजट के करीब 1 प्रतिशत रहा है। वर्ष 2017–18 का वास्तविक व्यय (129.02 करोड़) वर्ष 2016–17 (141.55) के वास्तविक व्यय की तुलना में 8.85 प्रतिशत कम है। वर्ष 2018–19 के बजट में अल्पसंख्यक विभाग के लिए आवंटित बजट 180 करोड़ रूपये था जो राज्य के कुल बजट का मात्र 0.09 प्रतिशत था। हांलाकि वर्ष 2017–18 की तुलना में वर्ष 2018–19 में इस विभाग के बजट में 8.4 प्रतिशत की वृद्धि हुई थी। लेकिन वर्ष 2019–20 के अंतरिम बजट में इस विभाग का बजट घटाकर 164.57 करोड़ रुपये कर दिया गया है। अंतरिम बजट के अनुसार पिछले वर्ष (2018–19) के विभाग के बजट को घटाकर संशोधित अनुमान में 164.98 करोड़ रुपये किया गया है।

अल्पसंख्यकों के लिए मुख्य योजनाएं एवं बजट :

राज्य में अल्पसंख्यक वर्ग के सामाजिक, आर्थिक एवं शैक्षिणिक स्तर को ऊँचा करने के लिए केन्द्र तथा राज्य सरकार द्वारा विभिन्न योजनाओं का संचालन किया जा रहा है। जैसे कि बहुक्षेत्रीय विकास कार्यक्रम (MSDP), अल्पसंख्यक छात्रों को पूर्व मैट्रिक छात्रवृति, अल्पसंख्यक उत्तर मैट्रिक छात्रवृति योजना, मैरिट कम मीन्स छात्रवृति योजना, अनुप्रति योजना इत्यादि। राज्य सरकार की बजट पुस्तिकाओं से अल्पसंख्यक विभाग के कुल बजट में अल्पसंख्यकों के लिए संचालित योजनाओं के बजट को देखा जा सकता है। अल्पसंख्यक वर्ग से सम्बंधित योजनाओं के बजट का विवरण नीचे तालिका में दिया गया है।

तालिका–6: राजस्थान में अल्पसंख्यकों से जुड़ी योजनायें तथा उनका बजट (करोड़ रु. में)

योजनाएं	बजट अनुमान 2017–18	वास्तविक व्यय 2017–18*	बजट अनुमान 2018–19	संशोधित अनुमान 2018–19*	बजट अनुमान 2019–20*	बजट अनुमान 2019–20**
बहुक्षेत्रीय विकास कार्यक्रम (MSDP)	56.49	55.33	62.13	61.18	61.42	61.24
पूर्व मैट्रिक छात्रवृति	45.21	0	45.21	0.0001	0.0001	0.0001
मैरिट कम मीन्स छात्रवृति योजना	0.08	0.0072	0.09	0.08	0.5	0.5
उत्तर मैट्रिक छात्रवृति	0.15	0.094	0.17	0.15	0.17	0.17
मदरसा स्कूल	73.35	47.43	80.19	73.19	65.35	65.35
मदरसा बोर्ड	1.90	1.45	2.09	2.09	1.97	1.97
अनुप्रति योजना	0.30	0.0070	0.30	0.20	0.30	0.30
अल्पसंख्यकों के लिए छात्रावास भवन	5	0.63	4	1.02	5	4.17
अल्पसंख्यक बालक छात्रावासों का संचालन	2.86	1.95	2.39	2.07	2.28	2.28
अल्पसंख्यक कन्या छात्रावासों का संचालन	1.63	1.33	1.84	1.51	1.72	1.72
कौशल विकास प्रशिक्षण योजना	2	2	2	1	2	2

स्रोत: बजट पुस्तिका, राजस्थान सरकार

* अंतरिम बजट, 2019–20

तालिका–6 के आंकड़ों से स्पष्ट है कि अल्पसंख्यक विभाग की सबसे महत्वपूर्ण योजना बहुक्षेत्रीय विकास कार्यक्रम के बजट में इस वर्ष करीब एक करोड़ रुपये की कटौती की गई है। अल्पसंख्यकों के लिये छात्रावास भवन मद के अंतर्गत वर्ष 2017–18 में बजट आवंटन (6.63 करोड़ रु.) की तुलना में

वास्तविक व्यय (1.95 करोड़ रु.) काफी कम रहा है। वर्ष 2019–20 में अल्पसंख्यक श्रेणी के बालक–बालिकाओं के लिए चल रही पूर्व मैट्रिक छात्रवृति योजना के लिए आवंटित बजट शून्य है। क्योंकि वर्ष 2015–16 से इस योजना के अंतर्गत लाभार्थियों को दी जाने वाली राशि केन्द्र सरकार द्वारा सीधे ही लाभार्थियों के खाते में हस्तांतरित की जा रही है। वर्ष 2015–16 से पूर्व केन्द्र सरकार द्वारा राशि पहले राज्य सरकार को हस्तांतरित की जाती थी और फिर राज्य सरकार द्वारा राशि को लाभार्थियों के खाते में हस्तान्तरित किया जाता था। वर्ष 2017–18 में अनुप्रति योजना के बजट अनुमान (0.30 करोड़) के विपरीत वास्तविक व्यय 3.33 प्रतिशत ही रहा है।

तालिका–7: राजस्थान में अल्पसंख्यकों के कल्याण हेतु निधि का आवंटन (राशि करोड़ रू. में)

राज्य	12वीं योजना के दौरान	
	जारी निधियां	सूचित उपयोग
राजस्थान	97.21	47.02 (48.37 प्रतिशत)

स्रोतः श्री बदरुद्दीन अजमल द्वारा लोकसभा में दिनांक 03/01/2018 को पूछे गये अतारांकित प्रश्न संख्या–2641 के जबाब में श्री मुख्तार अब्बास नकवी (मंत्री, अल्पसंख्यक मंत्रालय, भारत सरकार) द्वारा प्रस्तुत किये गये आंकड़ेः http%///190-47-100-164loksabhaquestions/qhindi//13AU-2641pdf

जैसा कि ऊपर देखा जा सकता है कि राज्य में अल्पसंख्यक विभाग का बजट बहुत कम है। लेकिन इसके साथ ही एक बडी समस्या विभाग को उपलब्ध बजट का पूरा उपयोग नहीं होना भी है। भारत सरकार के आंकड़ों के मुताबिक 12वीं पंचवर्षीय योजना (2012–17) के दौरान राज्य को अल्पसंख्यक कल्याण के लिये दिये गये कुल बजट का 47 प्रतिशत ही उपयोग हो सका। विभाग द्वारा उपलब्ध बजट का उपयोग नहीं कर पाने का एक बडा कारण इस विभाग में स्वीकृत पदों का रिक्त होना भी है।

तालिका–8: अल्पसंख्यक विभाग में विभिन्न स्तरों पर रिक्त पदों की स्थिति

विभाग	सृजित पद	रिक्त पद
निदेशालय स्तर	61	7(11)
जिला स्तर (समस्त 33 जिले)	308	77(25)
मदरसा बोर्ड	35	14 (40)
मदरसों में शिक्षा सहयोगी	8619	2497(29)
कंप्यूटर शिक्षा सहयोगी*	3000	2653 (88)
अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास सहकारी निगम*	22	16 (73)
कुल पद	12042	5264 (43.73)

स्रोतः वार्षिक प्रतिवेदन, अल्पसंख्यक मामलात विभाग, राजस्थान, 2017–18
*वार्षिक प्रतिवेदन, अल्पसंख्यक मामलात विभाग, राजस्थान, 2016–17
नोटः ( ) में रिक्त पदों का प्रतिशत है।

तालिका–8 में दिए गये आंकड़े बताते हैं कि अल्पसंख्यकों से जुड़े विभिन्न विभागों में करीब 44 प्रतिशत पद रिक्त है, अल्पसंख्यक समुदाय में कल्याण के लिए बेहतर परिणाम लाने के लिए मजबूत निगरानी तंत्र की आवयश्कता है और यह तभी पूर्ण हो सकती है जब विभाग में समस्त स्तरों पर कर्मचारी नियुक्त हो।

प्रधानमंत्री 15 सूत्री कार्यक्रमः प्रधानमंत्री 15 सूत्री कार्यक्रम अन्य मंत्रालयों/विभागों की कई योजनाओं को कवर (शामिल) करते हुए एक व्यापक कार्यक्रम है, जिसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि सरकार की विभिन्न योजनाओं का लाभ अल्पसंख्यक समुदाय के लाभ से वंचित लोगों तक पहुँचे।

- शिक्षा अवसरों को बढ़ावा देना–(1) एकीकृत बाल विकास सेवाओं की समुचित उपलब्धता (2) विद्यालय शिक्षा की उपलब्धता को सुधारना (3) उर्दू शिक्षण के लिए अधिक संसाधन (4) मदरसा शिक्षा का आधुनिकीकरण (5) अल्पसंख्यक समुदायों के मेधावी विद्यार्थियों के लिए छात्रवृति (6) मौलाना आजाद शिक्षा प्रतिष्ठानों के माध्यम से शैक्षिक अवसंरचना को उन्नत करना।

- आर्थिक कार्यकलापों और रोजगार में समुचित हिस्सेदारी– (7) गरीबों के लिए स्वरोजगार तथा मजदूरी रोजगार योजना (8) तकनिकी प्रशिक्षण के माध्यम से कौशल उन्नयन (9) आर्थिक क्रियाकलापों के लिए अभिवृद्धि ऋण योजना (10) राज्य व केन्द्रीय सेवाओं में भर्ती।
- अल्पसंख्यकों के जीवन स्तर की दशा में सुधार करना– (11) ग्रामीण आवास योजना में उचित हिस्सेदारी (12) अल्पसंख्यक समुदाय वाली मलिन बस्तियों/क्षेत्रों की स्थिति में सुधार।
- सांप्रदायिक दंगों की रोकथाम व नियंत्रण– (13) सांप्रदायिक घटनाओं की रोकथाम (14) साम्प्रदायिक अपराधों के लिए अभियोजन (15) सांप्रदायिक दंगों के पीड़ितों का पुनर्वास।

प्रधानमंत्री 15 सूत्री कार्यक्रम की प्रगति की स्थितिः निम्न तालिका में राज्य में चल रहे प्रधानमंत्री के 15 सूत्री कार्यक्रम के तहत शामिल योजनाओं की वर्ष 2014–15 से 2018–19 तक की प्रगति का विवरण दिया गया है।

तालिका–9: राज्य में चल रहे प्रधानमंत्री के 15 सूत्री कार्यक्रम के तहत शामिल योजनाओं के लक्ष्य एवं उपलब्धि (2014–15 से 2018–19 तक)

योजना/वर्ष	2014–15		2015–16		2016–17		2017–18		2018–19 (30.06.2019 तक)	
	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि
एसएसए के तहत निर्मित अतिरिक्त कक्षों की संख्या	43	43	राज्यवार विवरण उपलब्ध नहीं है		0.00	0.00	–	–	–	–
सोशल मोबिलाइजेशन –DAY-NRLM के अंतर्गत प्रोत्साहित अल्पसंख्यक SHGs	1571	28	824	726	1616	420	1764	453	2600	64
DAY-NRLM के अंतर्गत चक्रीय निधि प्राप्त अल्पसंख्यक SHGs	754	26	0.00	64	1389	29	1448	141	2054	8
अल्पसंख्यक SHGs को प्राप्त चक्रीय निधि (राशि – करोड़ में)	1.13	0.04	0.00	0.096	2.08	0.04	2.17	0.21	3.08	0.012
DAY-NRLM के तहत सामुदायिक निवेश सहायता राशि प्राप्त SHGs (राशि – करोड़ में)	2.15	0.018	4.4	0.077	5.8	0.187	11.99	0.81	8.76	0.005
DAY-NRLM के तहत सामुदायिक निवेश सहायता राशि प्राप्त SHGs की संख्या	429	12	330	7	525	17	1091	74	1752	1
प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के तहत अल्पसंख्यकों के लिए स्वीकृत घरों की संख्या	7266	1347	5988	1035	19882	10919	17766	11869	0	4977
डीएवाई–एनयूएलएम के तहत गठित स्व–सहायता समूहों (एसएचजी) के तहत आने वाले अल्पसंख्यक लाभार्थियों की संख्या	2643	1610	राज्यवार विवरण उपलब्ध नहीं है		आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं	5196	राज्यवार विवरण उपलब्ध नहीं है		–	–
DAY-NULM के तहत कौशल प्रशिक्षित अल्पसंख्यक लाभार्थियों का प्लेसमेंट	825	0.00	आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं			0	राज्यवार विवरण उपलब्ध नहीं है		–	–
DAY-NULM के तहत व्यक्तिगत और समूह सूक्ष्म उद्यमों की स्थापना के लिए अल्पसंख्यक लाभार्थियों की संख्या(राशि – करोड़ में)	390	4				612			–	–

विश्व बैंक द्वारा सहायता प्राप्त VTIP के तहत अल्पसंख्यक बाहुल्य जिलों में आईटीआई का सेंटर ऑफ़ एक्सीलेंस में उन्नयन	0.200	0	0	0	0	0	–	–	–	–

स्रोतः –http://www.minorityaffairs.gov.in/schemes-covered-under-prime-ministers-new-15-point-programme-welfare-minorities

प्रधानमंत्री 15 सूत्री कार्यक्रम अल्पसंख्यकों के सशक्तिकरण के लिए सबसे महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम में सरकार के कई विभागों की योजनाओं में अल्पसंख्यकों की भागीदारी सुनिश्चित करने का लक्ष्य रखा गया है। लेकिन इस कार्यक्रम में शामिल कार्यक्रमों की निगरानी की आवश्यकता है। राज्य के अल्पसंख्यक विभाग के वार्षिक प्रतिवेदन में इन प्रधानमंत्री 15 सूत्री कार्यक्रम में अल्पसंख्यकों की भागीदारी के आंकडें सही तरीके से नहीं दिए गए हैं। लेकिन केन्द्र सरकार के अल्पसंख्यक मंत्रालय के वेबसाइट पर कुछ आंकडें उपलब्ध हैं।

तालिका–8 में दिए गये आंकड़े बताते हैं कि DAY-NRLM के अंतर्गत चक्रीय निधि प्राप्त अल्पसंख्यक SHGs के लिए 2015–16 में कोई लक्ष्य नहीं रखा गया है। प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के तहत अल्पसंख्यकों के लिए स्वीकृत घरों की संख्या में वर्ष 2014–15 तथा 2015–16 में करीब 20 प्रतिशत से भी कम लक्ष्य की प्राप्ति रही है एवं वर्ष 2016–17 में 19882 के लक्ष्य के विरुद्ध प्राप्ति केवल 10919 (करीब 55 प्रतिशत) रही तथा इसी प्रकार वर्ष 2017–18 में 17766 लक्ष्य की तुलना में प्राप्ति केवल 11869 की रही, जबकि वर्ष 2018–19 में इस के लिए कोई लक्ष्य नहीं रखा गया है।

बहुक्षेत्रीय विकास कार्यक्रम (MSDP): बहु–क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम (एमएसडीपी) 11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान शुरु की गई एक केंद्र प्रायोजित योजना है। एमएसडीपी एक क्षेत्र विकास पहल है जिसे सामाजिक आर्थिक अवसंरचना का सृजन करते हुए तथा आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध कराते हुए अल्पसंख्यक बाहुल्य जिलों की विकास सम्बन्धी कमियों को दूर करने के लिए शुरू किया गया था। इसे वर्ष 2008–09 में देश के 90 अल्पसंख्यक बाहुल्य जिलों (एससीडी) में आरम्भ किया गया था। राजस्थान में यह योजना 8 जिलों के 10 ब्लॉक्स एवं 3 अल्पसंख्यक बाहुल्य कस्बों में चल रही है। इस योजना का बजट वर्ष 2018–19 के संशोधित अनुमान तथा वर्ष 2019–20 के बजट अनुमान में करीब 61 करोड़ रहा है। जो वर्ष 2018–19 के बजट अनुमान से करीब 1 करोड़ रुपये कम है। इस योजना के तहत राज्य के विभिन्न जिलों में हुए कार्यों का विवरण निम्न सारणी से देख सकते हैं।

तालिका–10अः वर्ष 2013–14 से 2017–18 तक जिलेवार बहुक्षेत्रीय विकास कार्यक्रम की भौतिक स्थिति (राशि–लाख में)

जिला/वर्ष/क्षेत्र (राशि लाख में)		आंगनवाडी	अति. कक्षा कक्ष निर्माण	कंप्यूटर कक्ष निर्माण	साइबर लैब निर्माण	उप स्वास्थ्य केंद्र निर्माण	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र निर्माण	नर्सिंग कोलेज निर्माण	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र निर्माण	बालिका शौच. एवं अंडर ग्राउंड वाटर टैंक
अलवर	2013-14	–	–	–	–	–	5(665)	2(800)	–	–
	2014-15	–	–	–	–		7(803)	–	–	–
	2015-16	–	72(747.5)	–	–	4(88)	–	–	–	–
	2016-17	1(22)	161(1198.9)	–	–	14(308)	1(180)	–	–	–
	2017-18	–	273(2033.35)	–	–	–	–	–	–	–
भरतपुर	2013-14	45(202.5)	85(426.9)	–	–	18(396)	2(266)	–	–	–
	2014-15	–	–	–	–		–	–	–	–
	2015-16	–	–	–	–	2(266)	–	–	–	–
	2016-17	21(94.5)	114(827.55)	–	–	–	–	–	–	–
	2017-18	–	–	–	–	–	–	–	–	–
बाड़मेर	2013-14	7(31.5)	6(60)	–	–	–	–	–	–	–
	2014-15	–	1(8.57)	1(10)	–	–	1(133)	–	1(100)	–
	2015-16	–	41(253)	–	–	–	–	–	–	–
	2016-17	4(18)	61(340.35)	–	–	–	–	–	–	–
	2017-18	–	–	–	–	–	–	–	–	–
हनुमानगढ़	2013-14	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	2014-15	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	2015-16		64(643.2)	24(326.8)	–	–	–	–	–	–

	2016-17	10(45)	26(261.3)	1(13.2)	–	–	–	–	–	–
	2017-18	–	40(200)	–	–	–	–	–	–	–
जैसलमेर	2013-14	10(45)	–	–	–	5(110)	–	–	–	–
	2014-15	–	–	6(69.24)	–	14(308)	3(15)	–	–	–
	2015-16	17(93.5)	50(384.2)	7(92.4)	6(70.32)	–	–	–	–	–
	2016-17	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	2017-18	–	–	–	–	–	–	–	–	–
नागौर	2013-14	–	5(41)	–	–	–	–	–	–	–
	2014-15	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	2015-16	–	15(105.3)	3(39.6)	–	–		–	–	–
	2016-17	–		–	–	–	–	–	–	–
	2017-18	–	10(100.5)	–	–	–	–	–	–	–
सवाईमाधोपुर	2013-14	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	2014-15	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	2015-16	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	2016-17	–	18(90)	–	–	–	–	–	–	–
	2017-18	–	–	–	–	–	–	–	–	–
टोंक	2013-14	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	2014-15	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	2015-16	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	2016-17	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	2017-18	–	58(764.86)	–	–	–	–	–	–	102(641.3)

स्रोतः –वार्षिक प्रतिवेदन, अल्पसंख्यक विभाग राजस्थान, 2017–18

नोटः –( ) कोष्ठक के बाहर के आंकड़े किये गए कुल कार्यों को दर्शाते हैं तथा कोष्ठक के अन्दर के आंकड़े किये गए कार्यों में खर्च राशि को दर्शाते है।

तालिका–10बः वर्ष 2013–14 से 2017–18 तक जिलेवार बहुक्षेत्रीय विकास कार्यक्रम की भौतिक स्थिति (राशि–लाख रु. में)

जिला/वर्ष/क्षेत्र (राशि लाख में)		आई.टी. आई. भवन निर्माण	बालिका छात्रावास	बालक छात्रावास	राजकीय कोलेज निर्माण	वोकेशनल लैब निर्माण	सामुदायिक हॉल निर्माण	आई.सी टी. लैब निर्माण	साइंस लैब निर्माण	कंप्यूटर, आर्ट, क्राफ्ट कक्ष निर्माण
अलवर	2013-14	–	–	–		–	–	–	–	–
	2014-15	–	–	–	1(403)	–	–	–	–	–
	2015-16	–	4(762.44)	3(571.83)	1(461.3)	20(290.6)	–	–	–	–
	2016-17	–	–	–	–	19(276.07)	–	–	–	–
	2017-18	–	–	–	–	–	1(309.6)	55(552.2)	–	–
भरतपुर	2013-14	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	2014-15	1(500)	–	–	–	–	–	–	–	–
	2015-16	–	1(190.61)	1(190.61)	–	–	–	–	–	–
	2016-17	–	–	–	–	6(87.8)	–	–	–	–
	2017-18	–	–	–	–	–	–	–	–	–
बाड़मेर	2013-14	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	2014-15	1(500)	–	–	–	–	–	–	–	–
	2015-16	–	–	1(190.61)	–	–	–	–	–	–
	2016-17	–	–	–	–	2(29.6)	–	–	–	–
	2017-18	–	–	–	–	–	–	–	–	–
हनुमानगढ़	2013-14	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	2014-15	1(392.79)	–	–	–	–	–	–	–	–
	2015-16	–	–	–	–	6(87.18)	–	–	–	–
	2016-17	–	–	–	–	–	2(120.4)	–	–	107(1111.61)
	2017-18	–	–	–	–	–	–	–	–	–

जैसलमेर	2013-14	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	2014-15	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	2015-16	1(500)	1(190.61)	1(190.61)	–	–	–	–	–	–
	2016-17	–	–	–	–	12(174.36)	–	–	–	–
	2017-18	–	–	–	–	–	–	–	–	–
नागौर	2013-14	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	2014-15	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	2015-16	1(500)	–	–	–	–	–	–	–	–
	2016-17	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	2017-18	–	–	–	–	–	–	–	–	–
सवाईमाधोपुर	2013-14	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	2014-15	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	2015-16	1(500)	–	–	–	–	–	–	–	–
	2016-17	–	–	–	–	4(58.12)	–	–	–	5(51.2)
	2017-18	–	–	–	–	–	1(84)	–	–	
टोंक	2013-14		–	–	–	–	–	–	–	–
	2014-15		–	–	–	–	–	–	–	–
	2015-16	1(498.83)	1(338)	–	–	–	–	–	–	–
	2016-17	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	2017-18	–	–	–	–	–	–	–	102(641.3)	–

स्रोतः –वार्षिक प्रतिवेदन, अल्पसंख्यक विभाग राजस्थान, 2017–18

नोटः –( )कोष्ठक में किये गए कार्यों में खर्च राशि का विवरण है तथा कोष्ठक के बाहर के आंकड़ें कुल कार्यों को दर्शाते हैं।

ऊपर दी गई तालिका से बहुक्षेत्रीय विकास कार्यक्रम की वर्ष 2013–14 से 2017–18 तक जिलेवार भौतिक स्थिति देखने से मालूम होता है कि सभी जिलों में शिक्षा के क्षेत्र (अतिरिक्त कक्षा–कक्ष के निर्माण) में सबसे अधिक कार्य किये गये हैं। जबकि इसके विपरीत स्वास्थ्य के क्षेत्र में सबसे कम काम किये गये है। पिछले पांच वर्षों में बालिका शौचालय एवं वाटर टैंक केवल टोंक जिले में बनवाए गये है। बाकी जिलों में यह कार्य नहीं किये गए हैं। इसी प्रकार दो सरकारी कॉलेजों का निर्माण भी केवल अलवर जिले में वर्ष 2014–15 एवं 2015–16 में किये गए हैं। तालिका से यह भी देखा जा सकता है कि बहुक्षेत्रीय विकास कार्यक्रम के तहत सबसे अधिक कार्य अलवर जिले में करवाए गए है। साथ ही इस कार्यक्रम के अंतर्गत अधिकांश कार्य शिक्षा से जुड़े कार्यक्रमों के अंतर्गत किये गये हैं जबकि अन्य क्षेत्र जैसे– स्वास्थ्य जैसे क्षेत्र उपेक्षित रहे है।

इस अध्ययन से पता चलता है कि राज्य में अल्पसंख्यक विभाग का बजट एवं अल्पसंख्यक विकास के कार्यक्रमों की स्थिति कमज़ोर है। अल्पसंख्यक मामलात विभाग का कुल बजट राज्य के कुल बजट का करीब 1 प्रतिशत रहा है। बहुक्षेत्रीय विकास कार्यक्रम की जिलेवार स्थिति देखे तो इस कार्यक्रम के अंतर्गत अधिकतर कार्य अलवर, जैसलमेर और बाड़मेर जिलों में सिमटे हुए हैं। राज्य के अन्य जिलों में काम कम ही हुए हैं। उसी तरह 15 सूत्री कार्यक्रम में भी अधिकांश योजनाओं में वास्तविक उपलब्धि लक्ष्य से कम रही है। ऐसे में हमें इन कार्यक्रमों के बेहतर निगरानी की जरूरत है।